बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 105/13–14

1. परिचयात्मक :–

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	प्रखण्ड विकास कार्यालय, पंचदेवरी (गोपालगंज)
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि –	वर्ष 2010–11 से 2011–12
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यकाल–	(i) श्री पंकज कुमार पाल, जिला सामाहर्त्ता, गोपालगंज। 1.4.2010 से 31.3.12 तक।
(ड़)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –	(i) श्री सुधीर कुमार सिन्हा– प्र0 वि0 पदाधिकारी 01.04.10 से 03.04.10 तक (ii) महेश्वर प्रसाद रजक, प्र0वि0पदा0 4.4.2010 से 8.7.2013 तक (iii) श्री दीनानाथ वर्मा, नाजिर (निलम्बित) 01.04.10 से 25.2.2012 तक (iv) श्री विरेश प्रसाद यादव, नाजिर 26.2.2012 से अद्यतन (v) श्री अरूण कुमार मिश्र, प्रधान लिपिक 1.4.10 से 18.06.2012 तक
(च)	अंकक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/ कर्मचारी का नाम, पदनाम –	श्री विरेश प्रसाद यादव, नाजिर

(छ)	अंकेक्षकों का नाम –	(1) श्री राम कुमार कर्ण, व0अं0–1 (2) ,, रविन्द्र कुमार, व0अं0–2
(ज)	अंकेक्षण प्रंरभण तिथि –	05.07.2013
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति तिथि –	18.12.2013
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस–	47 कार्य दिवस
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–	अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट "ए0" संलग्न है।

(2) <u>अंकेक्षण का क्षेत्र</u> :–

1.	अंकेक्षण का प्रकार :–	यह सामान्य अंकेक्षण है।
2.	वित्त (अंकेक्षण) विभाग का ओदश संख्या एवं तिथि –	वित्त (अंकेक्षण) विभाग के कार्यालय आदेश सं0 230 दि0 11.3.2013 एवं विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 15.9. 1960 के आलोक में अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।
3.	कार्यालय का कार्यक्षेत्र –	प्रखंड विकास कार्यालय, पंचदेवरी के अधीन कुल 09 ग्राम पंचायत है, (i) ग्राम पंचायत राज वनकटिया (ii) ग्राम पंचायत राज भगवानपुर (iii) सिकहिया (iv) कुईसाखुर्द (v) महुँआवाँ (vi) मझवलिया (vii) खालगॉव (viii) सेमरिया (ix) मगहिया, प्रखंड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करना।

4. **वित्तीय श्रोत** :– इस कार्यालय को सरकार/जिला से प्राप्त आवंटन/अनुदान के अलावा कोई दूसरा बाहरी वित्तीय श्रोत नहीं है। सरकार/जिला से स्थापना या अन्य मद में प्राप्त आवंटन/अनुदान की आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2010–11 का परिशिष्ट वी0 (1/6 से 6/6 तक) तक संलग्न है। संलग्न विवरणी में शीर्ष 2515 क, ख एवं ग का सरकारी आवंटन परिपत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन आवंटन पंजी एवं प्रत्यार्पित राशि की विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रत्यार्पित राशि की सही स्थिति ज्ञात नहीं हो सका।

आवंटन/अनुदान की आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2011–12 का परिशिष्ट सी0 (1/6 से 6/6 तक) है। संलग्न विवरणी में शीर्ष 2515 "क" स्थापना मद का सरकारी आवंटन परिपत्र, आवंटन पंजी और प्रत्यार्पित राशि की विवरणी वार–वार मांग के वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप आवंटन एवं प्रत्यार्पित राशि की सही स्थिति का पता नहीं चल सका। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से प्राप्त आवंटन एवं प्रत्यार्पित राशि का छानबीन कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

संलग्न अनुदान आय–व्यय विवरणी वर्ष 2010–11/2011–12 में सभी सम्बन्धित सहायक रोकड़ पंजी के वित्तीय वर्ष के अन्त में दिखाये गये संवरण शेष की कुल राशि का सत्यापन रोकड़ पंजी में उल्लेखित पासबुक वार सहित रोकड़ की कुल विवरणी राशि से किया और सही पाया गया।

(5) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :–

इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में कोषागार से निकासी एवं जमा राशियों का सत्यापन जिला कोषागार कार्यालय गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्पूटराईजड भुगतान सिडूल से शत–प्रतिशत किया और सही पाया गया।

(6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन या अनुपालन प्रतिवेदन वार–वार मॉग के वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि महालेखाकार के पूर्व का निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन नहीं किया गया।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन या अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन मांग के वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप अनुपालन की सही स्थिति का पता नहीं चल सका। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अगर पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध हो तो आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन कराकर अनुपालन की स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका – 03 वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में :– वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में उपलब्ध आवंटन परिपत्र के आधार पर आवंटन से अधिक नहीं की गयी है।

(2) अनुदान की स्थिति में :– जिला से उपलब्ध अनुदान की राशि एवं पूर्व संवरण शेष की राशि मिलाकर वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में अनुदान से अधिक राशि का व्यय नहीं किया गया है।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था :–

उपलब्ध संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :–

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि0–5.7.2013 को रोकड़ पंजी के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें 1.7.13/5.7.13 को संवरण शेष के विभिन्न रूप में कुल रू0 3,70,58,619.99 था, जो सही था।

(5)(i) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :–

(क) दि0 5.7.13 को रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के रूप में रू0 3,70,58,618.99 की विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है।

(क)	नगद राशि	–	2386.90
(ख)	बैंक खाता में कुल राशि (बैंक पंजी के अनुसार)	–	2,80,02,471.09
(ग)	अग्रिम की राशि	–	75,73,212.00
(घ)	असमायोजित अभिश्रव	–	14,77,480.00
(ङ)	अन्य (कमीशन)	–	3069.00

कुल योग रूपयें – 3,70,58,618.99

<u>पूर्ण विवरण</u>

(ख) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि0 5.7.2013 को रोकड़ पंजी में विभिन्न वैंक खाता के रूप में रू0 2,80,02,471.09 संवरण शेष के रूप में दिखाया गया था लेकिन प्रस्तुत सभी बैंक पासवुक के संवरण शेष की राशि का अद्यतन नहीं किये जाने एवं वैंक विवरणी वार–वार मांग के वावजूद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संवरण शेष के रूप में कुल रू0 2,80,02,471.09 के वास्तविक स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका। नाजिर द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वैंक खाता पासबुक के अनुरूप ही कार्यालय द्वारा अलग–अलग वैंक खाता पंजी संधारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक लेन–देन के चेक की राशि को सम्बन्धित संधारित वैंक खाता पंजी में प्रविष्टी कर प्रत्येक तिथि में संवरण शेष की राशि को अपने स्तर से ज्ञात किया जाता है एवं इसी संवरण शेष की राशि को मूल रूप में वैंक खाता पासवुक के संवरण शेष मानकर रोकड़ पंजी में प्रति पासबुक राशि दशार्यी जाती है। ऐसी परिस्थिति में वैंक पासबुक के संवरण शेष का अद्ययतन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया पाया गया।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि प्रत्येक वैंक खाता पासवुक के संवरण शेष का अद्यतन के आधार पर ही रोकड़ पंजी संधारित कराया जाय।

इस प्रकार कार्यालय द्वारा संधारित वैंक खाता पंजी में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को अंकित संवरण शेष की राशि को आधार मानकर रोकड़ पंजी में दशार्यी गयी प्रत्येक वैंक पासबुक के संवरण शेष की राशि का सत्यापन किया गया और सही पाया गया।

विभिन्न वैंक पासबुक एवं वैंक खाता पंजी में दिखाये गये संवरण शेष की विवरणी परिशिष्ट डी0 संलग्न है।

(ग) अग्रिम राशि – अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को अग्रिम के रूप में रू0 75,73,212.00 दशार्यी गयी है जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ई0 पर अंकित है।

उल्लेखनीय है कि अग्रिम का भुगतान आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि सन्निहित उद्धेश्यों की पूर्ति के पश्चात भुगतान की गई राशि सम्वन्धित सामंजन हेतु अभिश्रव समर्पित किये जायेगे नहीं की स्थिति में नगद राशि भी वसूलकर इसका सामंजन किया जायेगा, परन्तु इस स्थिति का पालन दृढ़ता से नहीं किया गया। फलस्वरूप अस्थायी अग्रिम स्वरूप एक भारी राशि लम्बी अवधि से लम्बित है। जवकि वित्त विभाग, बिहार पटना के पत्र सं0 टी0 टी0 93

(क) 4342 दि0 28.9.79 के कंडिका 4 (ख) निदेशानुसार कर्मचारियों/पदाधिकारियों द्वारा लिये गये अग्रिमों को लम्बे अरसे तक असमायोजित रखना सवर्थ अनियमित है। नियमतः भुगतान की तिथि से एक माह के अन्दर अग्रिम का समायोजन अनिवार्य है।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लिये गये अग्रिमों का समायोजन हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(घ) असमायोजित अभिश्रव – असमायोजित अभिश्रव के रूप में रू0 14,77,480.00 पाया गया जिसका योग एवं सत्यापन का जॉच सम्वन्धित अभिश्रव एवं पंजी से किया तथा सही पाया गया। एक भारी राशि असमायोजित अभिश्रव के रूप में था। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि सरकार से आवंटन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा असमायोजित अभिश्रव को समायोजित कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(ड़) कमीशन – कमीशन के रूप में दशार्यी गयी रू0 3069.00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया नाजिर द्वारा बताया गया कि संवरण शेष के रूप में यह राशि वहुत पूर्व से चली आ रही है। अतः स्थिति स्पष्ट करने में उनके द्वारा असर्मथता व्यक्त की गयी फलस्वरूप इस राशि का सत्यापन नहीं किया गया। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(5)(ii) दि0 31.3.2011 एवं 31.3.2012 के संवरध शेष की स्थिति ।

दि0 31.3.2011 को रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के रूप में रू0 3,21,15,656.17 एवं 31.3.2012 को रू0 3,34,90,959.99 पाया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न है।

क्र0	रोकड़ का प्रकार	दि0 31.3.11 को संवरण शेष की राशि	दि0 31.3.12 को संवरण शेष की राशि
1.	नगद राशि	85,437.08	01,82,887.90
2.	वैंक खाता में कुल राशि	2,99,93,250.09	3,13,22,452.09
3.	अग्रिम की राशि	12,22,604.00	9,73,654.00
4.	अभिश्रव	8,13,865.00	10,08,897.00

5.	कमीशन	500.00	3069.00
	कुल योग –	**3,21,15,656.17**	**3,34,90,959.99**

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में स्वीकृत वल/कार्यरत वल/रिक्त वल की सूची परिशिष्ट एफ0 संलग्न हैं।

भाग – 2

(5) रू0 250.00 नाजिर रसीद से प्राप्त निर्वाचन नाम निदेशन शुल्क की राशि को रोकड़ है पंजी के आय भाग में प्रविष्टी नहीं। कम जमा किया जाना वसूली योग्य–

(क) रू0 125.00 नाजिर रसीद से प्राप्त निर्वाचन नाम निदेशन शुल्क की राशि को रोकड़ पंजी के आय भाग में प्रविष्टी नहीं किया जाना वसूली योग्य –

शीर्ष 2015 पंचायत निर्वाचन अन्तर्गत नाजिर रसीद भाल्यूम संख्या 15 रसीद संख्या 142703 दि0 23.3.11 से विमला देवी, मगहिया से निर्वाचन नाम निदेशन शुल्क हेतु (पद का नाम अंकित नहीं) रू0 125.00 प्राप्त किया गया था, लेकिन सम्बन्धित रोकड़ पंजी के आय भाग में प्रविष्टी नहीं पायी गयी और संवरण शेष के रूप में भी नहीं रखा पाया गया। साथ ही अलग से जमा किये जाने से सम्बन्धित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया जवकि बिहार कोषागार संहिता के नियम 91 (i) के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी रसीद पर प्राप्त किये गये राशि को रोकड़ पंजी के आय भाग में प्रविष्टी करने का स्पष्ट प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। मौखिक रूप से वताया गया कि राशि जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अतः निदेशन शुल्क की राशि रू0 125.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(ख) रू0 125.00 नाजिर रसीद से निर्वाचन नाम निदेशन शुल्क की प्राप्त वास्तविक राशि से कम राशि रोकड़ पंजी के आय भाग में प्रविष्टी किये जाने के कारण वसूली योग्य।

शीर्ष 2015 पंचायत निर्वाचन अन्तर्गत नाजिर रसीद भाल्यूम संख्या 30 रसीद संख्या 150493 दि0 4.4.11 से राजेश कुमार पंडित पिता वंशी पाण्डेय वार्ड नं0–07 ग्राम महेशपुर पंचायत सेमरिया अभ्यर्थी से निर्वाचन नाम निदेशन शुल्क हेतु पद–पंच के लिए रू0 250.00 प्राप्त किया गया था, जिसे सम्बन्धित रोकड़ पंजी के आय भाग में दि0 4.4.2011 को रू0 250.00 के बदले मात्र रू0 125.00 ही प्रविष्टी पायी गयी। तदनुसार रू0 125.00 प्राप्त को ही आधार मानकर उक्त तिथि में सभी प्राप्ति राशि का कुल योग किया गया।

इस प्रकार (250.00–125.00)=125.00 वास्तविक प्राप्त राशि से कम राशि ही रोकड़ पंजी के आय भाग में प्रविष्टी की पायी गयी।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसा बताया गया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अतः रू0 125.00 सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूल कर जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

इस प्रकार कंडिका क एवं ख का कुल योग क्रमशः 125.00 एवं 125.00 कुल 250.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

(6) रू0 7789.00 एक ही अभिश्रव को वर्ष 2011–12 में मूल अभिश्रव के आधार पर एवं वर्ष 2010–11 में फोटो प्रति के आधार पर दुवारा निकासी एवं व्यय दिखाकर राशि का गबन।

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत विपत्र सं0 50/2011–12 के द्वारा कार्यालय आकस्मिक मद में कुल 68 मूल अभिश्रव का योग रू0 84,202.00 की निकासी कर रोकड़ पंजी में दि0 31.3.12 को व्यय दिखाया गया था, जिसका जॉच एवं सत्यापन किया गया। सभी अभिश्रव पर पदाधिकारी द्वारा पारित राशि, Paid by me एवं Paid & Concelled लिखा पाया गया।

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत विपत्र सं0 70/2010–11 के द्वारा कुल 39 अभिश्रव का योग रू0 12000.00 की निकासी कर दि0 31.3.11 को रोकड़ पंजी में व्यय अंकित था। उक्त सभी अभिश्रव (विपत्र सं0 50/11–12 के जाँच के वाद) फोटो प्रति के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभिश्रव का मूल प्रति वार–वार मांगने के बाद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर भी सभी फोटोप्रति अभिश्रव के गहन जॉच एवं छानवीन में पाया कि इस सभी फोटो प्रति अभिश्रव में 27 वैसे अभिश्रव पाये गये जिसका मूल अभिश्रव विपत्र सं0 50/2011–12 के 68 अभिश्रवों में संलग्न कर कुल 84020.00 की निकासी कर रोकड़ पंजी में दि0 31.3.12 को व्यय किया गया था।

27 मूल अभिश्रव का पूर्ण विवरण परिशिष्ट जी0–1/2 संलग्न है।

उक्त सभी फोटो प्रति अभिश्रव पर पदाधिकारी द्वारा पारित राशि सहित हृ–बहू मूल अभिश्रव के स्वरूप का फोटो प्रति किया पाया गया, लेकिन फोटो प्रति अभिश्रव पर Paid by me एवं Paid & Concelled न तो फोटो प्रति के रूप में पाया और न मूल रूप में ही लिखा पाया गया।

अभिश्रव के जाँच में स्पष्ट हुआ कि –

(1) विपत्र सं0 70/2010–11 से निकासी एवं व्यय राशि रू0 12000.00 की सभी मूल अभिश्रव पदाधिकारी द्वारा पारित होने के बाद प्रारम्भिक स्तर पर गुम हो जाने के कारण खोजबीन के पश्चात पुनः उसका फोटो प्रति कराकर कार्यालय में उपलब्ध कराया गया और वही फोटो प्रति अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत कराया गया।

(2) उसमे से 27 फोटोप्रति अभिश्रव का मूल अभिश्रव वर्तमान नाजिर द्वारा विपत्र सं0 50/2011–12 के द्वारा निकासी एवं व्यय की गयी राशि रू0 84,202.00 में संलग्न कर पुनः 31.3.12 को व्यय किया गया और व्यय पश्चात मूल अभिश्रव पर Paid by me एवं Paid & Concelled वाद में लिखा गया।

(3) विपत्र सं0 50/11–12 में संलग्न 27 मूल अभिश्रव में दुकानदार की रसीद सं0 एवं क्रम तिथि वही थी, जो वर्ष 2010–11 की अवधि का है। 27 मूल अभिश्रव में एक भी अभिश्रव वर्ष 2011–12 की नही थी।

इस प्रकार एक ही अभिश्रव को वर्ष 2011–12 में मूल प्रति के आधार पर एवं वर्ष 2010–11 में फोटो प्रति के आधार पर निकासी एवं व्यय दिखाकर रू0 7,789.00 का गबन किया गया।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी, लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति अंकेक्षण में वापस नहीं किया गया पदाधिकारी द्वारा वताया गया कि आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, जो संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि रू0 7,789.00 का गबन किया गया, जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति पद विभागीय कार्रवाई करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

(7) रू0 12624.00 सरकारी प्रावधान के विरूद्ध मकान भाड़ा में अधिक भुगतान वसूली योग्य –

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया कि श्री महेश्वर प्रसाद रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचदेवरी योगदान तिथि 4.4.2010 का वेतन भुगतान पंजी पर उल्लेखित एल0पी0सी0 की विवरणी के अनुसार इनका एल0पी0सी0 सहायक निदेशक, वुनकर सहयोग समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 155 दि0 28.5.10 के द्वारा समाहर्त्ता गोपालगंज को भेजा गया था समाहर्त्ता गोपालगंज के पत्रांक 712 दिनांक–12.6.10 के द्वारा L.P.C पंचदेवरी प्रखंड भेजा गया प्रखंड कार्यालय मे योगदान 4.4.10 को किया गया एल0 पी0 सी0 मे 31.3.10 तक मूल वेतन रू0 21040.00 के आधार पर पटना शहर में रहते हुए देय दर (20%) से आवास भत्ता का भुगतान किया गया था इस प्रखंड (अवर्गीकृत स्थान) में योगदान के पश्चात माह अप्रैल 10 से सितम्बर 10 तक कुल छः माह का अलग–अलग वेतन के भुगतान के क्रम में आवास भत्ता के रूप में पूर्व पदस्थापित स्थान पटना शहर के लिए देय दर पर आवास भत्ता का भुगतान किया गया था जबकि बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया) भत्ता नियमावली 1980 के अधिसूचना सं0 4678 वि0 दि0 13.6.1980 में स्पष्ट प्रावधान है कि –

(1) नए स्थान पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से दो माह तक के लिए उसी दर पर मकान भत्ता देय है जिस दर से पुराने स्थान पर निकासी की गयी थी। शेष अगले चार माह के लिए नए स्थान पर देय दर से मकान भत्ता देय है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार श्री रजक को अप्रौल 10 से मई 10 तक दो माह का पुराने पदस्थापित स्थान पर देय दर से मकान भत्ता देय है। शेष जून 10 से सितम्बर 10 तक 04 माह के लिए नए स्थान (अवर्गीकृत) पर देय दर से मकान भत्ता का भुगतान होना चाहिए था।

अन्तर की विवरणी निम्न प्रकार है।

क्र0	माह का नाम	विपत्र सं0 भुगतान तिथि	भुगतीत राशि की विवरणी		भुगतान योग्य राशि	अन्तर अधिक भुगतान वसूली योग्य
			मूल वेतन	आवास भत्ता 20%	%	
1.	जून 10	15/2010–11 2.8.10	21,040.00	4208.00	1052.00	3156.00
2.	जुलाई 10	23/10–11 13.8.10	21,040.00	4208.00	1052.00	3156.00
3.	अगस्त 10	26/10–11 30.10.10	21,040.00	4208.00	1052.00	3156.00
4.	सितम्बर 10	38/10–11 20.12.10	21,040.00	4208.00	1052.00	3156.00
				कुल योग –		12,624.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी परन्तु निर्गत अंकेक्षण आपत्ति अंकेक्षण में वापस नहीं किया गया।

इस प्रकार रू0 12,624.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वेतन से वसूलकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

कंडिका –8 रू0 2199.00 का वेतनादि मद में किये गये अधिक भुगतान वसूली योग्य।

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया कि विपत्र सं0 32/2010–11 द्वारा 1.8.10 से 25.8.10 तक कार्यरत वेतन का कुल 58,691.00 की निकासी कर विभिन्न कर्मियों को दि0 20.12.10 को भुगतान किया गया था। इसी प्रकार विपत्र संख्या 37/2010–11 के द्वारा दि0 18.10.10 से 31.10.10 तक कार्यरत अवधि का कुल 21367.00 निकासी कर विभिन्न कर्मियों को दि0 20.12.10 को भुगतान किया गया था। उपरोक्त दोनो विपत्रों के कार्यरत अवधि के वेतनादि की जाँच में पाया कि अंकित मूलवेतन के आधार पर वास्तविक राशि से अधिक राशि वेतनादि मद में भुगतान किया गया जिसका अन्तर की राशि रू0 2199.00 की विवरणी परिशिष्ट एच0 संलग्न है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी, परन्तु निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। मौखिक रूप से वताया गया कि राशि वसूलने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अतः रू0 2199.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

कंडिका – 9 रू0 832.00 सरकारी प्रावधान के विरूद्ध जीप चलाने का दैनिक पारिश्रमिक के रूप में किया गया अधिक भुगतान वसूली योग्य।

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत आकस्मिकता अभिश्रव की जाँच में पाया कि विपत्र सं0 50/2011–12 के द्वारा रू0 84,202.00 की निकासी कर रोकड़ पंजी में दि0 31.3.12 को व्यय अंकित किया गया था, जिसमें से अभिश्रव संख्या 61 एवं 62 के द्वारा श्री अजय कुमार पासवान को प्रखंड कार्यालय के सरकारी जीप चलाने हेतु दैनिक पारिश्रमिक के रूप में क्रमशः 1.9.11 से 30.9.11 तक अधिकतम 26 दिनों का रू0 145.00 प्रतिदिन की दर से रू0 3770.00 एवं माह 1.8.11 से 31.8.11 तक अधिकतम 26 दिनो का रू0 145.00 प्रतिदिन की दर से 3770.00 कुल (3770.00+3770.00) 7540.00 का भुगतान किया गया था, जवकि बिहार सरकार राजस्व परिषद, बिहार, पटना के ज्ञापांक 25 (3) दि0 6.1.2010 के निर्णयानुसार चालक को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में अधिकतम 26 दिनों के लिए रू0 129.0 प्रतिदिन की दर से भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार सरकारी प्रावधानुसार श्री पासवान को सितम्बर 11 एवं अगस्त 11 में अधिकतम 26 दिनों के लिए रू0 129.00 प्रतिदिन की दर से (26+26)=52 दिनों का कुल 6708.00 ही भुगतान करना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी परन्तु निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः दैनिक पारिश्रमिक के रूप में अन्तर की राशि 7540.00–6708.00=832.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(10) रू0 540.000 कार्यालय सफाई कार्य हेतु एक ही अवधि का दुबारा भुगतान वसूली योग्य :–

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत कार्यालय आकस्मिक मद में विपत्र सं0 50/2011–12 के द्वारा रू0 84202.00 की निकासी कर रोकड़ पंजी में दि0 31.3.12 को व्यय था। अभिश्रव के जॉच में पाया कि अभिश्रव संख्या 24/11–12 के द्वारा रूखमिणी देवी को प्रखंड मुख्यालय में सफाई कार्य हेतु माह फरवरी 2011 में कुल 5 दिन का (तिथि अंकित नहीं) रू0 109.00 प्रतिदिन की दर से कुल 540.00 पारित कर भुगतान किया गया था।

पुनः अभिश्रव संख्या 138/11–12 के द्वारा रूखमिणी देवी को प्रखंड कार्यालय में सफाई कार्य हेतु माह फरवरी 11 के लिए ही कुल 5 दिन का (तिथि अंकित नहीं) रू0 109.00 प्रतिदिन की दर से रू0 540.00 पारित कर दुवारा भुगतान किया गया था।

इस सम्बन्ध मे अंकेक्षण आपत्तिनिर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

इस प्रकार रूखमिणी देवी को एक ही माह फरवरी 2011 में कुल 5 दिन के लिए रू0 540.00 दुवारा भुगतान किया गया, जिसे सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(11) कंडिका–11 रू0 18.00 देय आवास भत्ता में गलत गणना कारण अधिक भुगतान वसूली योग्य।

शीर्ष 2515 क अन्तर्गत वेतन भुगतान पंजी की जॉच में पाया कि श्री शिव दयाल पंडित, पं0 सचिव को विभिन्न विपत्र सं0 के द्वारा माह मार्च 10 से अगस्त 11 तक अलग–अलग माह के वेतन का भुगतान सभी देय सुविधा के साथ भुगतान किया गया था, जिसमें देय आवास भत्ता में गलत गणना के कारण वास्तविक देय राशि से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया। सितम्बर 11 से आवास भत्ता का सही भुगतान किया गया। आवास भत्ता में गलत गणन के कारण अन्तर की राशि की विवरणी निम्न है।

क्र0	विपत्र सं0	माह का नाम	भुगतान तिथि	मूल वेतन	भुगतीत आवास भत्ता	वास्तविक देय आवास भत्ता	अन्तर अधिक भुगतान	अभ्युक्ति
1.	6/10–11	मार्च 10	8.6.10	10941.00	548.00	547.00	1.00	
2.	7/10–11	अप्रैल 10	8.6.10	,,	548.00	547.00	1.00	
3.	13/10–11	मई 10	5.7.10	,,	548.00	547.00	1.00	
4.	17/10–11	जून 10	12.8.10	,,	548.00	547.00	1.00	
5.	25/10–11	जुलाई 10	13.8.10	,,	548.00	547.00	1.00	
6.	33/10–11	अगस्त 10 सितम्बर 10	20.12.10	,,	1096.00	1094.00	2.00	
7.	34/10–11	अक्टूबर 10	20.12.10	,,	548.00	547.00	1.00	
8.	50/10–11	नवम्बर 10	25.3.11	,,	548.00	547.00	1.00	
9.	51/10–11	दिसम्बर 10	25.3.11	,,	548.00	547.00	1.00	
10.	52/10–11	जनवरी 11	25.3.11	,,	548.00	547.00	1.00	
11.	57/10–11	फरवरी 11	30.3.11	,,	548.00	547.00	1.00	
12.	04/11–12	मार्च 11	11.5.11	,,	548.00	547.00	1.00	
13.	5/11–12	अप्रैल 11	11.5.11	,,	548.00	547.00	1.00	
14.	19/11–12	मई 11+ जून 11	1.9.11	,,	1096.00	1094.00	2.00	
15.	20/11–12	जुलाई 11	1.9.11	,,	548.00	547.00	1.00	
16.	21/11–12	अगस्त 11	1.9.11	,,	548.00	547.00	1.00	
		योग –			**9864.00**	**9846.00**	**18.00**	

अतः संबंधित कर्मचारी से रू0 18.00 वसूलकर कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को की जाय।

भाग — 2

वसूली योग्य राशि

(12) **रू0 3300.00 अनु0 जाति के एक ही छात्रा को एक ही अवधि के लिए अलग– अलग वर्ग में नामांकण दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया जाना वसूली योग्य।**

शीर्ष 2225 छात्रवृति योजना अन्तर्गत अभिश्रव सं0 5/10–11 के द्वारा प्राधानाध्यापक, उ0वि0 जमूनाहाँ वाजार, पंचदेवरी द्वारा प्रस्तुत विपत्र के क्रम सं0 1 से 16 तक अनु0 जाति के छात्र/छात्रा को वर्ग Ix एवं x में अवधि 2007–08 के लिए रू0 55.00 की दर से 16 छात्रा का 12 माह का कुल रू0 10560.00 छात्रवृति का भुगतान कर प्रखंड कल्याण रोकड़ पंजी में दि0 16.4.10 को व्यय था। उक्त अभिश्रव के जॉच में निम्नांकित छात्रा को अवधि 07–08 में ही वर्ग Ix एवं वर्ग x दोनो वर्ग में जमा दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया गया जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

छात्रा का नाम वर्ग Ix में दिखाये जाने की विवरणी।

क्र0	अभिश्रव सं0	छात्रा का नाम	पिता का नाम	जाति	वर्ग	अवधि	दर	भगतीत राशि
1.	02	ववि‍ता कुमारी	रामभरोसा रजक	धोवी	Ix	अप्रैल 07 से मार्च 08 तक	55x12	660.00
2.	03	रिंकू कुमारी	राजा राम	चमार	Ix	तदैव	55x12	660.00
3.	006	रीमा कुमारी	अलखदेव राम	चमार	Ix	तदैव	55x12	660.00
4.	07	सीमा कुमारी	श्री किशुन राम	चमार	Ix	तदैव	55x12	660.00
5.	08	गीता कुमारी	ललन राम	चमार	Ix	तदैव	55x12	660.00

कुल राशि– 3300.00

पुनः उक्त अभिश्रव में ही उपरोक्त छात्रा को एक ही अवधि 07–08 में ही वर्ग x में नाम अंकित कर छात्रवृति का भुगतान कर दिया गया जिसका विवरण निम्न है।

1.	09	ववित कुमारी	रामभरोसा रजक	धोवी	Ix	अप्रैल 07 से मार्च 08 तक	55x12	660.00
2.	16	रिंकू कुमारी	राजा राम	धोवी	x	तदैव	55x12	660.00
3.	11	रीमा कुमारी	अलखदेव राम	चमार	x	तदैव	55x12	660.00
4.	12	सीमा कुमारी	श्री किशुन राम	चमार	x	तदैव	55x12	660.00
5.	10	गीता कुमारी	ललन राम	चमार	x	तदैव	55x12	660.00

कुल योग – 3300.00

उपरोक्त अभिश्रव पर प्राधानाध्यापक द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि उपरोक्त क्रमांक 01 से 16 तक के सभी छात्र/छात्रा वर्ष 07–08 में मेरे विद्यालय में नियमित रूप से पढ़े है जिसका वर्ग एवं जाति सही है :–

अगर वर्ग सही होता तो एक ही छात्रा को अलग–अलग वर्ग में नाम दिखाकर छात्रवृति का भुगतान क्यों किया गया। विदित हो कि एक ही अवधि के लिए एक ही छात्रा को वर्ग Ix एवं वर्ग x दोनो वर्ग में एक साथ नामांकण नहीं किया जा सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा मात्र छात्रवृति की राशि प्राप्त करने के उद्धेश्य से गलत ढंग से विपत्र तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और छात्रवृति का भुगतान पाया गया।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपती अंकेक्षण में वापस नही किया गया।

अतः किसी एक वर्ग का छात्रवृति की राशि रू0 3300.00 सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूलकर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि राशि 3300.00 जमा करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग से अवगत करायी जाय।

(13) अनु0 जाति/पिछड़ी जाति के एक ही छात्रा को एक ही वर्ग में अलग–अलग अवधि में नामांकण दिखाकर छात्रवृति राशि रू0 15180.00 का भुगतान किया जाना वसूली योग्य।

(क) रू0 2640.00 पिछड़ी जाति के एक ही छात्र को एक ही वर्ग में अलग–अलग वर्ष में नामांकरण दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया जाना वसूली योग्य।

छात्रवृति योजना अन्तर्गत प्राधानाध्यपक उ0 म0 वि0 नटवॉ द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति भुगतान से सम्बन्धित विपत्र के जॉच में पाया कि अभि0 संख्या 01/23.8.10 के द्वारा पिछड़ी जाति के कुल 35 छात्र/छात्रा को 55/– प्रतिछात्र की दर से वर्ष 09–10, 12 माह के लिए कुल रू0 23,100.00 छात्रवृति का भुगतान प्रखंड छात्रवृति रोकड़ पंजी में दि0 23.8.10 को व्यय था। उक्त अभिश्रव में एक ही छात्रा को वर्ग 7 में वर्ष 09–10 में एवं अभिश्रव सं0 2/20.12.11 के द्वारा वर्ष 08–09 में दोनो अवधि में नाम अंकित कर छात्रवृति का भुगतान किया पाया गया। अभि0 सं0 1/238.10 के द्वारा निम्न छात्र को वर्ग 7 में 09–10 में दिखाये जाने की विवरणी।

क्र0	अभिश्रव का क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	वर्ग	जाति	अवधि	दर	भुगतीत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	16	पंकज कुमार सिंह	श्यामलाल सिंह	7	कोइरी	09–10	55x22	660.00
2.	17	राज कुमार सिंह	भरत सिंह	7	,,	तदैव	,,	660.00
3.	15	पुनीता कुमारी	विखली सिंह	7	,,	तदैव	,,	660.00
4.	18	छोटोलाल सिंह	प्रेमचन्द्र सिंह	7	,,	तदैव	,,	660.00

कुल – 2640.00

पुनः अभिश्रव सं0 2/20.12.11 द्वारा प्राधानाध्यपक, उ0म0वि0 नटवॉ के प्रस्तुत छात्रवृति विपत्र के जॉच में उक्त विद्यालय के पिछड़ी जाति के कुल 32 छात्र/छात्रा को 55/–की दर से वर्ष 2008–09 अवधि के लिए कुल 21,120.00 रोकड़ पंजी में दि0 20.12.11 को व्यय था। उक्त अभिश्रव के जॉच में पाया गया कि इसमें इस छात्र का नाम भी वर्ष 07 में अंकित पाया गया जिस छात्र का नाम, उपरोक्त अभिश्रव सं0

1/23.8.10 में छात्रवृति का भुगतान किया गया था। जिसका नाम एवं विवरण निम्न है।

1.	20	पंकज कु0 सिंह	श्याम लाल सिंह	7	कोइरी	08–09	55x22	660.00
2.	22	राज कुमार सिंह	भरत सिंह	7	,,	तदैव	55x22	660.00
3.	27	पुनीता कुमारी	विखली सिंह	7	,,	तदैव	,,	660.00
4.	26	छोटोलाल सिंह	प्रेमचन्द्र सिंह	7	,,	तदैव	,,	660.00

2640.00

इस प्रकार एक ही छात्र को एक ही वर्ग में वर्ष 09–10 एवं वर्ष 08–09 में नाम अंकित कर विभिन्न अभिश्रवों के द्वारा छात्रवृति का भुगतान सोच समझकर किया गया प्रतीत होता है। अंकेक्षण निर्गत आपत्ति वापस नहीं किया गया।

अतः 2640.00 समवन्धीत दोषी व्यक्ति से वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

(ख) रू0 660.00 अनु0 जाति के छात्रा को एक ही वर्ग में अलग अलग वर्ष में नामांकण दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया जाना वसूली योग्य।

छात्रवृति योजना अन्तर्गत अभिश्रव सं0 5/23.8.10 के द्वारा प्राधानाध्यापक म0 वि0 जमूना है। बाजार द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति विपत्र में कुल 17 छात्र/छात्रा को 55/–प्रति छात्र की दर से वर्ष 2009–10 के लिए कुल रू0 11,220.00 रोकड़ पंजी में दि0 23.8.10 को व्यय था। उक्त अभिश्रव के क्रमांक 04 पर उर्मिला कुमारी/राजवंशी राम जाति–चमार वर्ग vii को 55/– की दर से 209–10 के लिए कुल 660.00 का छात्रवृति भुगतान किया गया था।

पुनः अभिश्रव सं0 9/20.12.11 के द्वारा प्राधानाध्यापक म0 वि0 जमूनाहॉ वाजार के द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति अभिश्रव में कुल 25 छात्र/छात्रा को 55/– की दर वर्ष 2008–09 के लिए कुल रू0 16,500.00 रोकड़ पंजी में दि0 20.12.11 को व्यय था। उक्त अभिश्रव के क्रमांक 16 पर उर्मिला कुमारी/राजवंशी राम, जाति चमार वर्ग 7 वॉ

वर्ष 2008–09 के लिए नाम अंकित कर 55/– की दर से कुल 660.00 भुगतान प्राप्त था।

इस प्रकार विभिन्न अभिश्रव के द्वारा एक ही छात्रा को एक ही वर्ग में वर्ष 09–10 एवं वर्ष 08–09 में नाम अंकित कर छात्रवृत्ति का भुगतान जानवूझ कर किया गया प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ती वापस नहीं किया गया।

अतः रू0 660.00 दोषी व्यक्ति से वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

(ग) रू0 5280.00 पिछड़ी जाति के एक ही छात्रा को एक ही वर्ग में अलग–अलग वर्ष में नामांकण दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया जाना वसूली योग्य।

छात्रवृति योजनान्तर्गत अभिश्रव संख्या 8/16.4.10 के द्वारा प्रधानाध्यापक रा0 उ0 कन्या मध्य विद्यालय मचवाँ द्वारा प्रस्तुत अनु0 जाति के कुल 10 छात्र/छात्रा को 55/– की दर से वर्ष 07–08 के लिए छात्रवृति का भुगतान हेतु कुल 6660.00 पारित कर रोकड़ पंजी में दि0 16.4.10 का व्यय था। जिसमें से कुछ छात्र/छात्रा का विवरण निम्न है।

क्र0	अभिश्रव का क्रमांक	छात्र का नाम	पिता का नाम	जति	वर्ग	दर	भुगतीत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01	आशा कुमार	लक्ष्मण राम	चमार	8	55X12	660.00
2.	02	निलोमा राज	रामचन्द्र राम	चमार	8	तदैव	660.00
3.	03	धनजी राम	जय किशोर राम	चमार	8	तदैव	660.00
4.	04	शीला कुमारी	चनद्रिका राम	,,	7	तदैव	660.00

5.	05	माया कुमारी	नन्दू राम	,,	7	तदैव	660.00
6.	06	ववित्ता कुमारी	जय किशुन राम	,,	7	तदैव	660.00
7.	08	आरती कुमारी	जनकधारी राम	,,	7	तदैव	660.00
8.	10	मधुसूदन राम	जनकधारी राम	,,	7	तदैव	660.00

कुल योग – 5280.00

पुनः अभिश्रव सं0 6/20.12.11 उक्त प्राधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति अभिश्रव में कुल 8 छात्र/छात्रा को 55/– की दर से वर्ष 2008–09 के लिए कुल 5280 रोकड़ पंजी में दि0 20.12.11 को व्यय था। उक्त अभिश्रव के जॉच में वैसे छात्र/छात्रा का नाम पाया गया जिसका नाम उसी वर्ग के लिए वर्ष 07–08 के अवधि में अभिश्रव सं0 8/16.4.10 के द्वारा भुगतान में नाम अंकित पाया गया। वैसे छात्र/छात्रा के नाम की विवरणी निम्न हैं।

1.	01	शीला कुमारी	चन्द्रिका राम	चमार	vII	55x12	660.00
2.	02	आरती कुमारी	जनकधारी राम	,,	vII	,,	660.00
3.	03	मधुसूदन राम	जनकधारी राम	,,	vII	,,	660.00
4.	04	ववीता कुमारी	जयकिशुन राम	,,	vII	,,	660.00
5.	05	माया कुमारी	नन्दू राम	,,	vII	,,	660.00
6.	06	नियीमा राज	रामचन्द्र राम	,,	vII	,,	660.00
7.	07	आशा कुमारी	लक्ष्मण राम	,,	vII	,,	660.00
8.	08	छनजीत राम	जय किशोर राम	,,	vIII	,,	660.00

कुल – 5280.00

इस प्रकार विभिन्न अभिश्रवो द्वारा एक ही छात्र को एक ही वर्ग के लिए वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 के लिए अलग–अलग वर्ष में नामांकण दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया गया जो गलत उद्धेश्य का है घोतक है। निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः 5280.00 दोषी व्यक्ति से वसूलकर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

(घ) रू0 660.0 पिछड़ी जाति के छात्रा को एक ही वर्ग के लिए अलग–अलग वर्ष में दिखाकर का भुगतान किया जाना वसूली योग्य।

छात्रवृति योजनान्तर्गत अभिश्रव सं0 4/20.12.11 के द्वारा प्राधानाध्यापक उ0 म0 वि0 खालगॉव द्वारा प्रस्तुत कुल 4 छात्र/छात्रा को छात्रवृति भुगतान हेतु वर्ष 2008–09 के लिए 55/– की दर से कुल 2640.00 रोकड़ पंजी में दि0 20.12.11 को व्यय था जिसके अभिश्रव के जॉच में क्रमांक 02 पर सुनीता कुमारी पिता मनभरन वैठा जाति–धोवी वर्ग vII के लिए वर्ष 08–09 में नामांकण दिखाकर 55/–की दर से रू0 660.00 का भुगतान किया गया था।

पुनः रक्षित संचिका में उपलब्ध पूर्व वित्तीय वर्ष 08–09 के अभिश्रव के जॉच में पाया कि अभिश्रव सं0 9/26.9.08 के द्वारा प्राधानाध्यापक उ0म0वि0 खालगॉव का प्रस्तुत छात्रवृति विपत्र में कुल 5 छात्र/छात्रा को 55/–की दर से वर्ष 07–08 के लिए कुल 3300.00 रोकड़ पंजी में व्यय था। उक्त अभिश्रव में क्रमांक 5 पर सुनीता कुमारी पिता मनभरन वैठा जाति–धोवी वर्ग vII में वर्ष 07–08 में नामांकण दिखाकर 55/– की दर से छात्रवृति की राशि रू0 660.00 का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार एक ही छात्रा को वर्ग vII के लिए वर्ष 07–08 एवं 08–09 के लिए विभिन्न अभिश्रवों से छात्रवृति का भुगतान किया गया है जो गलत ढंग से विपत्र तैयार किया गया प्रतीत होता है। अंकेक्षण आपत्तिनिर्गत की गई जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

अतः रू0 660.00 दोषी व्यक्ति से वसूल कर सम्वन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

(ड़) रू0 5940.00 अनु0 जाति के एक ही छात्र/छात्रा को एक ही वर्ग के लिए अलग–अलग वर्ष में नामांकण दिखाये जाने के कारण छात्रवृति का भुगतान वसूली योग्य।

छात्रवृति योजनान्तर्गत अभिश्रव सं0 01/16.4.10 के द्वारा प्रधानाध्यापक उ0म0वि0 नटवॉ द्वारा प्रस्तुत विपत्र कुल 17 छात्र/छात्रा को 55/की दर से वर्ष 4/07 से 3/08 तक के लिए कुल रू0 11,200.00 रोकड़ पंजी में व्यय था। जिसमें से कुल 09 छात्र/छात्रा का नाम निम्न है।

क्र0	अभिश्रव का क्र0	छात्र का नाम	पिता का नाम	जाति	वर्ग	अवधि	दर	भुगतीत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01	फूल कुमारी	तिलकधारी राम	चमार	vIII	4/07 से 3/08	55x12	660.00
2.	02	वुना कुमारी	हरदेव राम	,,	vIII	तदैव	,,	660.00
3.	03	मंदोदर कुमारी	हरदेव राम	,,	vIII	,,	,,	660.00
4.	04	सुमन कुमारी	नथूनी राम	,,	vIII	,,	,,	660.00
5.	05	मूनी कुमारी	वंशी राम	,,	vIII	,,	,,	660.00
6.	07	किरण कुमारी	महावीर राम	,,	vIII	,,	,,	660.00
7.	10	राजू राम	स्व0 सत्यदेव राम	,,	vIII	,,	,,	660.00
8.	11	राज कुमार राम	श्री प्रसाद राम	,,	vIII	,,	,,	660.00
9.	16	प्रमोद कु0 राम	हरदेव राम	,,	vII	,,	,,	660.00

कुल योग – 5940.00

पुनः अभिश्रव संख्या x दि0 20.12.11 के द्वारा वर्ष 08–09 के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत विपत्र में कुल 10 छात्र/छात्रा को 55/–की दर से रू0 6660.00 का रोकड़ पंजी में दि0 20.12.11 को व्यय था। इस अभिश्रव के जॉंच में पाया कि निम्न वैसे

छात्र/छात्रा का नाम अंकित है जिसका भुगतान अभिश्रव सं0 01/16.4.10 के द्वारा किया जा चूका है। जिसका नाम निम्न है।

1.	01	वुना कुमारी	हरदेव राम	चमार	8	1.4.08 से 31.3.09	55x12	660.00
2.	02	मदोदर कुमारी	हरदेव राम	,,	8	,,	,,	660.00
3.	03	सुमन कुमारी	नथूनी राम	,,	8	,,	,,	660.00
4.	04	मुनी कुमारी	वंशी राम	,,	8	,,	,,	660.00
5.	05	फूल कुमारी	तिलकधारी राम	,,	8	,,	,,	660.00
6.	06	प्रमोद कुमार राम	हरदेव राम	,,	7	,,	,,	660.00
7.	08	राज कुमार राम	श्री प्रसाद राम	,,	8	,,	,,	660.00
8.	09	किरण कुमारी	महावीर राम	,,	8	,,	,,	660.00
9.	10	राजू राम	स्व0 सत्यदेव राम	,,	8	,,	,,	660.00

कुल योग – 5940.00

इस प्रकार एक ही छात्र/छात्रा को अलग–अलग अभिश्रवों के द्वारा एक ही वर्ग में वर्ष 07–08 एवं वर्ष 08–09 दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया गया जो गलत उद्धेश्य से किया गया प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति वापस नहीं किया गया।

अतः रू0 5940.00 दोषी व्यक्ति से वसूलकर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

इस प्रकार उप कंडिका क, ख, ग, घ एवं ड़0 का क्रमंश 2640.00+660.00+5280.00+660.00+5940.00 कुल रू0 15,180.00 समवन्धित दोषी व्यक्ति से वसूलकर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूली की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

14. रू0 660.00 अनु0 जाति के छात्रा को गलत वर्ग अंकित के कारण छात्रवृति का भुगतान किया जाना वसूल योग्य।

छात्रवृति योजनान्तर्गत अभिश्रव सं0 1/23.8.10 के द्वारा प्राधानाध्यापक उ0म0वि0, पंचदेवरी द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति भुगतान हेतु अभिश्रव में कुल 28 छात्र/छात्रा को 55/–की दर से विभिन्न वर्ग के लिए वर्ष 09–10 में कुल रू0 18480.00 का रोकड़ पंजी में व्यय था। अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि अभिश्रव सं0 11 पर नीपू कुमारी पिता हरेन्द्र मांझी जाति दुसाध वर्ग 7 के लिए 2009–10 में 55/– की दर से य0 660.00 का भुगतान किया गया था।

पुनः उक्त विद्यालय के प्राधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति अभिश्रव सं0 5/20.12.11 के द्वारा कुल 24 छात्र/छात्रा को विभिन्न वर्ग के लिए वर्ष 2008–09 के लिए 55/– की दर से कुल रू0 15840.00 रोकड़ पंजी में व्यय था। अभिश्रव के जॉच में पाया कि अभिश्रव क्रमांक 06 पर नीपू कुमारी पिता हरेन्द्र मांझी जाति दुसाध अवधि 2008–09 में वर्ग 8 में नाम अंकित कर छात्रवृति राशि का 55/–की दर से रू0 660.00 भुगतान किया गया था।

इस प्रकार अभिश्रव सं0 1/23.8.10 में वर्ष 2009–10 अवधि के लिए जब छात्रा का नाम वर्ग 7 में दिखाकर छात्रवृति का भुगतान किया गया था तब उसी छात्रा को वर्ष 2008–09 में अभि0 सं0 5/20.12.11 में वर्ग 6 में नाम अंकित एवं नामांकरण होना चाहिए था एवं वर्ग 6th के निर्धारित दर के आधार पर ही (जो वर्ग 7th के दर से कम है) छात्रवृति का भुगतान करना चाहिए था लेकिन अभिश्रव में (5/20.12.11) वर्ष 2008–09 में उक्त छात्रा को वर्ग 6th के वदले वर्ग 8 अंकित कर अधिक दर पर छात्रवृति की राशि का भुगतान कर दिया गया जो गलत मंशा प्रतीक हैं। निर्गत अंकेक्षण आपत्ति वापस नहीं किया गया।

अतः रू0 660.00 छात्रा का नाम के सामने गलत वर्ग अंकित किये जाने के कारण दोषी व्यक्ति से वसूलकर सम्वन्धित शीर्ष में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

15. रू0 660.00 अभिश्रव पर छात्रा का नाम कटा हुआ रहने के वावजूद भी छात्रवृति की राशि का वास्तविक से अधिक भुगतान किया जाना वसूली योग्य।

छात्रवृति योजनानतर्गत उ0म0वि0, राजापूर के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति भुगतान से सम्बन्धित अभिश्रव सं0 3/20.12.11 के जॉच में पाया कि पिछड़ी जाति के कुल 01 से 08 छात्र/छात्रा वर्ग 08 एवं 7 के लिए (वर्ष अंकित नहीं) य0 55/– प्रति छात्र की दर से 12 माह का कुल रू0 5280.00 रोकड़ पंजी में दि0 20. 12.11 को व्यय था। विपत्र पर प्रधानाध्यापक द्वारा यह सत्यापित किया गया था कि क्रम सं0 01 से 08 तक उपरोक्त छात्र मेरे विद्यालय के नियमित छात्र है तथा मेरे द्वारा छात्रवृति का भुगतान किया जाता है। उक्त अभिश्रव के क्रमांक 08 पर महेश कुमार गुप्ता पिता भागवत गुप्ता वर्ग 8 जाति–तेली का नाम अंकित था जो विलकुल ही स्पष्टः कलम से कटा हुआ पाया गया तथा अन्य छात्रा की तरह श्री गुप्ता के नाम के सामने हस्ताक्षर भी किया नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता इस छात्र को छात्रवृति राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में कुल 7 छात्र को ही 55/–की दर से 12 माह का कुल 4620.00 भुगतान करना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति अंकेक्षण में वापस नही किया गया।

अतः रू0 5280.00+4620.00=660.00 छात्रवृति भुगतान में वास्तविक से अधिक किया गया जो ऐसी व्यक्ति से वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

16. रू0 5,51,520.00 प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत छात्रवृति अभिश्रव पर छात्र के पढ़ने का वर्ग एवं वकाया अवधि अंकित नहीं रहने के कारण जॉच एवं सत्यापन कार्य अपूर्ण आपत्तिन्तर्गत।

छात्रवृति योजनान्तर्गत प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत विद्यालय के छात्र/छात्रा के छात्रवृति से सम्बन्धित पारित अभिश्रव के जॉच में पाया कि किसी–किसी अभिश्रव पर छात्र के पढ़ने का वर्ग या वकाया अवधि का वर्ष का उल्लेख नहीं किया पाया गया जिससे अंकेक्षण में यह पता न चल सका कि किस वर्ष के लिए एवं किस वर्ग में छात्र

को नियमित रूप से विद्यालय में पढ़कर छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया। ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित अभिश्रव का जॉच एवं सत्यापन कार्य अपूर्ण रह गया।

जिसका विवरण परिशिष्ट एच संलग्न है।

प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रवृति भुगतान से सम्बन्धित अभिश्रव को विना जाँच किये हुए आधा–अधुरा अभिश्रव प्रखंड कार्यालय में प्रेषित किया गया एवं उक्त अभिश्रव को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा भी पूर्ण रूप से जॉच/सत्यापन नहीं किया है।

अतः रू0 5,51,520.00 का अभिश्रव पूर्ण जॉच एवं सत्यापन के अभाव में आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई कर अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ अभिलेख प्रस्तुत कराया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

17. रू0 1,69,804.00 वेतनादि की राशि को रोकड़ पंजी के आय–व्यय भाग में प्रविष्टी नहीं किया जाना, आपत्तिन्तर्गत।

विपत्र पंजी एवं सहायक रोकड़ पंजी के सत्यापन में पाया कि विभिन्न शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार से राशि की निकासी की गई थी, लेकिन सम्वन्धित एवं अन्य रोकड़ पंजी के आय–व्यय भाग में प्रविष्टी नहीं पायी गयी।

विदित हो कि बिहार कोषागार से निकासी की गई प्रत्येक विपत्र की राशि को सम्बन्धित रोकड़ पुस्त में अंकित किया जाना एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रविष्टी की राशि का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है परन्तु उक्त नियम का पालन दृढ़ता से नहीं किया गया।

विवरण निम्न है।

क्र0	निकासी शीर्ष	विपत्र सं0 निकासी तिथि	निकासी राशि	कोषागार टी0वी0सं0 को0भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1.	8009	41/10–11 17.1.11	1,32,942.00	P80090027 17.1.11	सम्बन्धित भारवाई पंजी अंकेक्षण में अप्रस्तुत फलस्वरूप भुगतान वैंक के

					माध्यम से किया गया अथवा नगद स्पष्ट नहीं हो सका।
2.	2515 क	57/10–11 30.3.11	36,862.00	P25150161 30.3.11	2515 क वेतन भुगतान पंजी उल्लेखित पाया गया लेकिन रोकड़ पंजी में प्रविष्टी नहीं पायी गयी एवं भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया। खाता सं0 उल्लेखित नहीं।
		कुल –	1,69,804.00		

उपरोक्त विवरणी में शीर्ष 8009 के भरपाई पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सत्यापन कार्य नहीं किया गया। फलस्वरूप भरपाई पंजी प्रस्तुत होने तक एवं 8009 तथा 2515 की राशि रोकड़ पंजी में प्रविष्टी होने तक आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है। अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि उक्त दोनो राशि को रोकड़ पंजी के आय–व्यय भाग में प्रविष्टी कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

18. रू0 1,05,653.00 अभिश्रव पर विना गाड़ी का प्रकार, नम्बर एवं गाड़ी कहाँ चली दिखाए आपूर्ति किये गये डीजल/पेट्रोल पर व्यय आपत्तिन्तर्गत।

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत वाहन के ईधन रख–रखाव मद में 2011 पंचायत आम चुनाव पर व्यय हेतु विपत्र सं0 62/2011–12 के द्वारा रू0 1,19,949.00 निकासी कर दि0 31.3.12 को रोकड़ पंजी में व्यय अंकित था। प्रस्तुत अभिश्रव की जॉच में पाया कि निम्नांकित अभिश्रव के द्वारा राज सागर ओटोमोबाइल्स, मंझरिया, पंचदेवरी के अलग–अलग प्रस्तुत विपत्र द्वारा 2011 पंचायत आम चुनाव हेतु कुल कुल 122 वाहन पर डीजल/पेट्रोल आपूर्ति हेतु कुल 1,05,653.00 का भुगतान किया गया था।

विवरण निम्न है।

क्र0	अभिश्रव सं0	आपूर्तिकर्ता के विपत्र का क्र0	उपयोग में लाये गये गाड़ी की सं0	डीजल आपूर्ति तिथि	तेल का प्रकार	तेल की मात्रा	दर	भुगतीत एव पारित राशि।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	69/11–12	531	24	12.5.11 से 14.5.11	डीजल	335 ली0	40.30	13,500.00
2.	70/11–12	532	25	15.5.11	डीजल	750 ली0	40.30	30,225.00
3.	71/11–12	533	25	13.5.11 से 14.5.11	डीजल	510 ली0	40.30	20,553.00
4.	72/11–12	534	23	15.5.11 से 28.6.11	डीजल	512 ली0	40.30	20,633.00
5.	73/11–12	535	25	14.5.11 से 15.5.11	पेट्रोल डीजल मोविल	14 ली0 460 ली0 –	66.38 40.30 –	877.00 18538.00 1327.00

कुल योग– 1,05,653.00

उपरोक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र में गाड़ी का प्रकार गाड़ी का नम्बर, गाड़ी कहाॅ के लिए चली, प्रत्येक गाड़ी पर आपूर्ति किये गये डीजल की मात्रा, रसीद संख्या की प्रति चालक का नाम इत्यादि विवरण अंकित नहीं पाया गया जिसके फलस्वरूप भुगतान का सही सत्यापन नही किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त वांछित सूचनाओं/अभिलेख उपलब्ध होने तक रू0 1,05,653.00 का व्यय आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराकर एवं उसकी जॉच कर आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षित) विभाग को अवगत करायी जाय।

(26–22)=4 अभिश्रव का योग (1,68,000–1,48,525.00)=19,475.00 का अभिश्रव बार–बार मांग के वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी जॉच एवं सत्यापन नहीं किया गया। छानवीन करने पर पूर्व नाजिर द्वारा ऐसा वताया गया कि शेष अभिश्रव वर्त्तमान नाजिर श्री विरेश प्र0 यादव को हस्तगत करा दिया गया है। साक्ष्य में वर्त्तमान नाजिर द्वारा उक्त अभिश्रव प्राप्ति का हस्ताक्षर भी किया पाया गया, लेकिन वर्त्तमान नाजिर द्वारा उक्त चार मूल अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया।

चार अभिश्रव का विवरण निम्न है। (आकस्मिक पंजी से)

क्र0	अभिश्रव सं0	भुगतान तिथि	दुकानदार का नाम	पारित राशि भुगतीत राशि	अभ्युक्ति
1.	1/10–11	27.3.11	सोनू टेन्ट हाउस, पंचदेवरी	10,800.00	
2.	2/10–11	27.3.11	मनोरंजन स्टोर, गोपालगंज	4900.00	
3	3/10–11	27.3.11	सोनू टेन्ट हाउस, पंचदेवरी	800.00	
4.	8/10–11	27.3.11	सहारा फोटो स्टेट, गोपालगंज	2975.00	
			कुल योग –	**19,475.00**	

उपर्युक्त सभी मूल अभिश्रव उपलब्ध होने तक रू0 19,475.00 आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि मूल अभिश्रव उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त मूल अभिश्रव को किसी भी वित्तीय वर्ष में था, किसी भी मद में दिखाकर दुवारा निकासी या व्यय नहीं किया गया है एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

(ख) रू0 4211.00 उपलब्ध कराये गये फोटो प्रति अभिश्रव का शेष मूल अभिश्रव अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया जाना आपत्तिन्तर्गत।

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत कार्यालय आकस्मिक मद में विपत्र सं0 70/10–11 के द्वारा कुल 39 अभिश्रव का योग रू0 12000.00 की निकासी कर रोकड़ पंजी में दि0

31.3.11 को व्यय था जिसमें सभी उपलब्ध कराये गये फोटो प्रति अभिश्रव में से रू0 7789.00 का मूल अभिश्रव 27 विपत्र सं0 50/11–12 से निकासी में किया पाया गया जिसका उल्लेख परिशिष्ट G-$\frac{1}{2}$ कंडिका 06 में किया गया है। शेष 12000.00–7,789.00=4211.00 का फोटो प्रति अभिश्रव सं0 39–27=12 का मूल अभिश्रव वार–वार मांग के वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

12 फोटो प्रति अभिश्रव का पूर्ण विवरण निम्न है।

क्र0	अभि0 सं0	दुकानदार का नाम	क्रय तिथि	सामान का नाम	मात्रा	दर	राशि	पारित राशि	पारित तिथि
1.	106/10–11	अंजली फोटो स्टेट लेमिनेशन पंचदेवरी	26.5.10	फोटो कॉपी	30 कॉपी	2/–	60.00	60.00	28.5.10
2	110/10–11	विरेन्द्र प्रसाद मधेशिया चालक	4.12.10 को गाड़ी न0 PKPB28C6329 से गोपालगंज से प्रखंड का फर्नीचर लाने का भाड़ा					700.00	11.12.10
3.	118/,,	गोविन्द कुमार	10.7.10	वक्सा ताला	1 फी0 1 ,,	–	1100.00 60.00	1160.00	10.7.10
4.	125/,,	मे0 सिंह फोटो स्टेट लेमि0 गोपालगंज	22.7.10	फोटो कॉपी	65 प्र0	1.00	65.00	65.00	22.7.10
5.	128/,,	अंजली फोटो स्टेट, पंघ	24.7.10	,,	11 प्रति	2/–	22.00	20.00	24.7.10
6.	129/,,	कुशवाहा कम्पयूटर, पंचदेवरी	26.7.10	प्रपत्र क,ख	20 प्रति	1.50	30.00	30.00	26.7.10
7.	132/,,	मिश्रा फोटो स्टेट पंचदेवरी	11.8.10	पेंशन एवं विकलांक	150 प्रति	2/–	300.00	275.00	11.8.10
8.	133/,,	कुशवाहा कम्प्यूटर पंचदेवरी	15.8.10	24 रजिस्टर का कॉपी	24 ,,	1/–	24.00	24.00	18.8.10

9.	134/,,	जनता प्रेस, पंचदेवरी	—	मुहर	1 पीस	—	50.00	50.00	16.4.10
10.	136/,,	मिश्रा इलेक्ट्रीक	—	तार होल्डर इत्यादि	—	—	160.00	150.00	8.2.11
11.	146/,,	शर्मा डीजटल, जमूनाहॉ	5.12.10	मासिक रिपोर्ट डी0एम0 औफिस	56 प्रति	30/—	1680.00	1650.00	5.12.10
12.	153/,,	करण फोटो स्टेट गोपालगंज	—	फोटो प्रति	27	1/—	27.00	27.00	5.2.11

कुल योग — 4,211.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी परन्तु निर्गत अंकेक्षण आपत्ति अंकेक्षण में वापस नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त सभी मूल अभिश्रव उपलब्ध होने तक रू0 4211.00 आपत्ति अर्न्तगत रखी जाती है। उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि मूल अभिश्रव उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त मूल अभिश्रव को किसी भी वित्तीय वर्ष में एवं किसी भी मद में दिखाकर दुवारा निकासी नहीं की गयी है एवं प्रतिफल से वित्त (अं0) विभाग को अवगत करायी जाय।

इस प्रकार कंडिका क एवं ख का कुल योग क्रमशः 19475+4211.00=23686.00 का मूल्य अभिश्रव उपलब्ध कराया जाय।

21. रू0 48,200.00 भुगतान के विरूद्ध प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया जाना, आपत्तिन्तर्गत।

(क) रू0 47,000.00 भुगतान के विरूद्ध प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

(ए0) शीर्ष 3454 जनगणना अन्तर्गत 189 प्रगणकों को मानदेय हेतु रू0 2200.00 प्रति प्रगणक की दर से रू0 4,15,800.00 एवं प्रशिक्षण भत्ता हेतु 750.00 की दर से 1,41,750.00 कुल रू0 5,57,550.00 का भुगतान रोकड़ पंजी में दि0 31.3.11 में अंकित

व्यय से सम्बन्धित जनगणना में प्रतिनियुक्त प्रगणको का मानदेय एवं प्रशिक्षण वितरण पंजी की जॉच में पाया कि कुल 189 प्रतिनियुक्त प्रगणको में से 187 प्रगणकों का मानदेय एवं प्रशिक्षण भत्ता क्रमशः रू0 4,11,400.00 एवं रू0 1,40,250.00 कुल रू0 5,51,650.00 का भुगतान प्राप्कर्त्ता का हस्ताक्षर पाया गया।

शेष मात्र दो प्रगणकों का प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं पाया गया जिसका विवरणी निम्न है।

क्र0	भुगतान पंजी क्र0	प्रगणक का नाम	विद्यालय का नाम	मानदेय की राशि	प्रशिक्षण भत्ता	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	58	अशोक गुप्ता	प्रा0वि0 रूपीविगही	2200.00	750.00	2950.00	हस्ताक्षर अप्राप्त
2.	181	तारामति सिंह	प्रा0 वि0 कुईसाखूर्द	2200.00	750.00	2950.000	हस्ताक्षर अप्राप्त
	कुल राशि –			4400.00	1500.00	5900.00	

(बी0) शीर्ष 3454 जनगणा अन्तर्गत 30 पर्यवेक्षको का प्रशिक्षण भत्ता हेतु 750/–प्रति पर्यवेक्षक की दर से कुल 22,500.00 का भुगतान रोकड़ पंजी में दि0 31.3.11 को किया गया था जिसमें से 28 पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण भत्ता का रू0 21,000.00 भुगतान प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर पाया गया। शेष दो पर्यवेक्षको का भुगतान के विरूद्ध रू0 1500.00 का प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं पाया गया जिसका विवरण निम्न है।

क्र0	भुगतान पंजी क्र0	पर्यवेक्षक का नाम	विद्यालय का नाम	प्रशिक्षण भत्ता	अभ्युक्ति
1.	12	वुन्देला प्रसाद	उ0म0वि0 खालगांव	750.00	प्राप्तकर्ता का ह0 अप्राप्त।
2.	24	रामनगीना मिश्र	उ0म0वि0 राजापूरमहथ	750.00	तदैव

कुल राशि – 1500.00

(सी0) रू0 28500.00 प्रगणको का हस्ताक्षर नहीं पाया जाना।

शीर्ष 3454 जनगणना अन्तर्गत 170 प्रगणकों का मानदेय का भुगतान हेतु 1500/—प्रति प्रगणकों की दर से रोकड़ पंजी में रू0 2,55,000.00 का भुगतान दि0 31.3.11 को किया गया था, जिसमें से सम्बन्धित प्रगणको के वितरण पंजी के में पाया कि 151 प्रगणको को भुगतान के विरूद्ध रू0 2,26,500.00 का प्राप्ति हस्ताक्षर पाया गया। शेष 19 प्रगणको का मानदेय का भुगतान रू0 28500.00 भुगतान के विरूद्ध प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया जिसका विवरण निम्न है।

क्र0	भुगतान पंजी क्र0	प्रगणक का नाम	विद्यालय का नाम	मानदेय की राशि	अभ्युक्ति
1.	01	विजय कुमार प्रसाद	प्रा0वि0 टेरखेमराज	1500.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।
2.	09	मालती देवी	,,	1500.00	,,
3.	14	अखिलेश सिंह	प्रा0वि0, छितौना	1500.00	,,
4.	18	हरेन्द्र सिंह	प्रा0वि0 मंहथवा पश्चिम	1500.00	,,
5.	21	देवेन्द्र सिंह	प्रा0वि0 विशुनपुरा	1500.00	,,
6.	32	सुनीता कुमारी	प्रा0वि0, लोहरी	1500.00	,,
7.	35	सुगान्ती देवी	प्रा0वि0 रूपीवगही	1500.00	,,
8.	36	रविया खातुन	तदैव	1500.00	,,
9.	37	जगदीश भारती	प्रा0वि0वातल वौराहा	1500.00	,,
10.	58	अशोक यादव	प्रा0वि0 रूपी वगही	1500.00	,,
11.	73	ममता कुमारी	तदैव	1500.00	,,
12.	74	वागेश्वर तिवारी	प्रा0वि0 नन्दनपट्टी	1500.00	,,
13.	81	सुषमा द्विवेदी	प्रा0वि0 रूपीविगही	1500.00	,,
14.	86	शशि प्रभा गोस्वामी	म0वि0 मझवलिया	1500.00	,,
15.	96	कान्ति कुमार	न0स्त0म0वि0 फतुछापर	1500.00	,,
16.	154	उपेन्द्र नाथ माली	प्रा0वि0 वनकटा	1500.00	,,

17.	164	ज्योति कुमारी	उ0म0वि0 नटवा	1500.00	,,
18.	165	सुनैना देवी	उ0म0वि0 तेतरिया	1500.00	,,
19.	169	कुमारी कमरमा सिंह	म0वि0 अतिरौली	1500.00	,,
			कुल –	28,500.00	

(डी0) रू0 11,100.00 पर्यवेक्षकों का मानदेय भुगतान के विरूद्ध प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया जाना।

शीर्ष 3454 जनगणना अन्तर्गत 30 पर्यवेक्षकों को मानदेय भुगतान हेतु 3700.00 प्रति पर्यवेक्षक की दर से कुल रू0 1,11,000.00 का व्यय रोकड़ पंजी में दि0 31.3.11 को था। जिसके साक्ष्य में वितरण पंजी की जॉच में पाया कि 27 पर्यवेक्षको को मानदेय भुगतान राशि रू0 99,900.00 के विरूद्ध प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर पाया गया लेकिन मात्र 03 (तीन) पर्यवेक्षकों को मानदेय की राशि रू0 11,100.00 के भुगतान के विरूद्ध प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। जिसका विवरण निम्न है।

क्र0	भुगतान पंजी क्र0 सं0	पर्यवेक्षको का नाम	विद्यालय का नाम	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	05	अनिल कुमार कुशवाहा	तपेश्वरनाथ उ0वि0 छितौना	3700.00	
2.	12	कन्देला प्रसाद	उ0म0वि0, खालगांव	3700.00	
3.	24	श्रामनगीना मिश्र	उ0म0वि0 राजापुर मंथन	3700.00	
			कुल योग –	11,100.00	

इस प्रकार कंडिका ए0वी0सी0डी0 का कुल योग क्रमशः 5900.00+500.00+28,500.00+11,100.00 कुल योग रू0 47000.00 के भुगतान प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

अतः भुगतान प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर प्राप्त होने तक रू0 47,000.00 आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है, अन्यथा राशि वसूली योग्य होगी।

(ख) रू0 1200.00 खेलकूद प्रतियोगिता में खिलड़ियों को किये गये भुगतान के विरूद्ध हस्ताक्षर नहीं पाया जाना, आपत्तिन्तर्गत।

शीर्ष पाईका मद में खेलकुद प्रतियोगिता दि0 22.10.10 से 24.12.10 तक के आयोजन हेतु जिला से रू0 50,000.00 प्राप्तकर रोकड़ पंजी के आय भाग में दि0 20.12.10 को प्रविष्टी पायी गयी। उक्त राशि उ0 म0 वि0 जमूनॉहा के प्रधानाध्यापक को हस्ताक्षर कराने के पश्चात् उनके द्वारा समायोजित अभिश्रव प्रस्तुत किया गया, जो रोकड़ पंजी में दि0 20.7.11 को व्यय अंकित था। प्रस्तुत अभिश्रव 1 से 15 तक की जाँच में पाया कि अभिश्रव सं0 12 में 195 खिलाड़ियों को भोजन, यात्रा इत्यादि मद में 50/– की दर से रू0 9750.00 का भुगतान किया गया था, जिसमें 1 से 171 खिलाड़ियों को रू0 8550.00 भुगतान के विरूद्ध हस्ताक्षर पाया गया लेकिन शेष 172 से 195 तक के कुल 24 खिलाड़ियों को रू0 1200.00 भुगतान के विरूद्ध प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। साथ ही भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य कागजात भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। खिलाड़ियों के भुगतान के विरूद्ध हस्ताक्षर नहीं पाये जाने की सूची परिशिष्ट आई0 संलग्न है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी परन्तु निर्गत अंकेक्षण आपत्ति अंकेक्षण में वापस नहीं किया गया।

अतः रू0 1200.00 सम्बन्धित खिलाड़ियों से प्राप्ति हस्ताक्षर होने तक आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है, अन्यथा राशि वसूली योग्य होगी।

इस प्रकार कंडिका क एवं ख की राशि रू0 47000.00+1200.00 कुल 48200.00 भुगतान के विरूद्ध प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर होने तक आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

(22) रू0 500.00 चुतुर्थ वर्गीय कर्मी को प्रतिवर्ष जूता–मौजा आपूर्ति पर किया गया अनियमित भुगतान, आपत्तिन्तर्गत।

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत वर्दी मद में विपत्र संख्या 64/10–11 के द्वारा कुल रू0 3782.00 निकासी कर रोकड़ पंजी में दि0 31.3.2011 को व्यय अंकित था। प्रस्तुत अभिश्रव सं0 29/31.3.11 के जॉच में पाया कि लखानी जूता मौजा दुकान, पंचदेवरी को दि0 20.3.11 को श्री ववलू कुमार सिंह, च0व0क0 को जूता एवं मौजा आपूर्ति के विरूद्ध 800.00 के वदले रू0 770.00 पारित कर भुगतान किया गया था।

पुनः शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत वर्दी मद में विपत्र सं0 70/11–12 के द्वारा कुल रू0 3559.00 निकासी कर रोकड़ पंजी में दि0 27.3.12 को व्यय था। प्रस्तुत अभिश्रव सं0 8/27.3.12 की जॉच में पाया गया कि अन्सारी वूट हाउस पंचदेवरी को दि0 12.3.12 को श्री ववलू कुमार सिंह च0 व0 क0 को जूता एवं मौजा आपूर्ति के विरूद्ध रू0 580.00 के वदले रू0 500.00 पारित कर भुगतान किया गया था।

उक्त दोनो वर्ष के विपत्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री ववलू कुमार सिंह, च0व0क0 को दि0 20.3.11 एवं दि0 12.3.12 को दोनो वर्ष जूता एवं मौजा की आपूर्ति किया गया था, जवकि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4335 दि0 18.5.2011 के द्वारा जूता की आपूर्ति प्रत्येक दो वर्ष पर एक जोड़ा एवं मौजा प्रतयेक तीन वर्ष पर दो जोड़ा आपूर्ति करने का प्रावधान है। वर्दी से सम्बन्धित वर्दी एवं जूता पंजी उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण जूता की आपूर्ति की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सका। साथ ही वर्ष 2012–13 में जूता एवं मौजा आपूर्ति किया गया अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं हो सका।

स्थिति स्पष्ट होने तक 500.00 का अनियमित भुगतान आपतिन्तर्गत रखी जाती हैं।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अनियमित भुगतान पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए वित्त (अं0) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(23) रू0 59,410.00 उपस्कर इत्यादि क्रय का सत्यापन स्थायी सामग्री भंडार पंजी अप्रस्तुत रहने के कारण नहीं किया जाना आपत्तिन्तर्ग।

विभिन्न शीर्षो अन्तर्गत अभिश्रवों की जॉच में पाया कि विभिन्न अभिश्रवों के द्वारा उपस्कर इत्यादि सामग्री क्रय कर भुगतान किया गय था, लेकिन स्थायी सामग्री भंडार पंजी बार–बार मांग के वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कराया गया। फलस्वरूप उपस्कर इत्यादि का भंडार प्रविष्टी का सत्यापन नहीं किया गया।

विवरण निम्न है।

क्र0	शीर्ष	अभिश्रव सं0 भुगतान तिथि	दुकानदार का नाम क्रय तिथि	सामान का नाम	मात्रा	राशि	अभ्युक्ति
1	2515 ख	109/11–12	मे0 राज	सुप्रीम कुर्सी	12 पी0	5700.00	विपत्र सं0

		31.3.12 116／11–12 31.3.12	फर्नीचर, गोपालगंज／ 4.12.10 नागेन्द्र गुप्ता 9.7.10	विज्जम कुर्सी टेवूल खिलविंग कुर्सी ताला	@475 /- 4 पी0 @775 /- 1 पीस 1 पीस 4 पी0 @ 45/-= 135／–	3100.00 5700.00 3200.00 130.00	50／11–12 उदेश्य अंकित नहीं भंडार प्रविष्टी प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।
2.	12 वॉं वित्त आयोग	5 3.12.10	पप्पू प्लास्टिक सेन्टर एवं जेनरल स्टोर किशीनगर	खिालविंग चेयर प्लास्टिक चेयर आफीस टेवूल	1 पीस 20 पीस @900 /- 1 पीस	6100.00 18000.00 6500.00	प्रमुख प्रकोष्ट हेतु। अभिश्रव पर भंडार प्रविष्टी प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।
3.	2515 ख	46／11–12 31.3.12	जिला खादी ग्रामोउद्योग संघ, गोपालगंज 9.8.11	राष्ट्रीय झंडा डोरी टोपी	61 पीस @125 /- 61 पीस @30/- 61 पीस @25/-	7625.00 1830.00 1525.00	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया विपत्र–50／11–12

कुल – 59,410.00

अतः रू0 59,410.00 उपरोक्त सामग्री का सत्यापन सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर वस्तु स्थिति से वित्त (अं0) विभाग को अवगत कराया जाय तबतक रू0 59,410.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(24) रू0 7,87,113.00 व्यय के अभिश्रवो प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय की औचित्य की जाँच नहीं किया जाना, आपत्तिन्तर्गत।

रोकड़ पंजी में विभिन्न तिथियों में यात्रा भत्ता एवं अन्य मद में व्यय किया गया था, लेकिन व्यय से सम्बन्धित यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति यात्रा भत्ता भुगतान पंजी एवं अन्य अभिश्रव वार–वार मांग के वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप सम्बन्धित अभिलेख/अन्य कागजात के अभाव में व्यय की औचित्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

विवरण निम्न है।

क्र0	शीर्ष	विपत्र सं0	भुगतान तिथि	उद्धेश्य	भुगतान राशि व्यय राशि	अभ्युक्ति
1.	2515 ख	74/10–11	31.3.11	ववलू कु0 सिंह, यात्रा भत्ता	3600.00	यात्रा भत्ता विपत्र की कार्या0 प्रति एवं भुगतान पंजी अप्रस्तुत।
		23/11–12	7.9.11	अरूण कु0 मिश्र, यात्रा भत्ता	3700.00	
				ववलू कु0 मिश्र, यात्रा भत्ता	7150.00	
		77/11–12	27.3.12	विरेश प्रसाद यादव, यात्रा भत्ता	1520.00	
		78/11–12	27.3.12	ववलू कु0 सिंह, यात्रा भत्ता	2280.00	
		79/11–12	27.3.12	तदैव	2470.00	
		80/11–12	27.3.12	अरूण कु0 मिश्र, यात्रा भत्ता	1900.00	

2.	12 वॉ वित्त आयोग	योजना सं0 1/10–11	28.9.10	–	20,000.00	योजना अभि0 अप्रस्तुत
3.	वी0आर0जी0	–	3.3.12	प्रखंड परिसर में पंचायत समिति भवन का निर्माण योजना सं0–4/10–11	1,00,000.00	तदैव
4.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	–	25.8.10 25.2.11 31.3.11 19.3.12	विभिन्न अभिश्रव सुभाष शुल्क पं0 सचिव तिरहुत समग्र विकास, समस्तीपुर एवं अन्य अभिश्रव शिव दयाल पंडित, प0 सचिव सिफटिया योजना सं0 1/10–11 ग्रामीण हाट निर्माण	14,050.00 25,000.00 5,05,443.00 1,00,000.00	योजना अभि0 एवं अभि0 अप्रस्तुत
				कुल योग –	7,87,113.00	

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन नही किया गया। साथ ही अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित अभिलेख/अभिश्रव भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः सम्बन्धित अभिलेख/अभिश्रव प्रस्तुत कर एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसकी जॉच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग का अवगत कराया जाय, तबतक रू0 7,87,113.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(25) रू0 6,15,000.00 योजनाओं के विरूध भुगतान किये गये अग्रिम राशि का समायेजन हेतु लम्बित।

विभिन्न शीर्ष अन्तर्गत योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया कि योजनाओं के कार्याव्यिन हेतु श्री सुभाष शुक्ल, पं0 सचिव, अभिकर्त्ता को विभिन्न तिथियों में अग्रिम स्वरूप राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख में अभिश्रव उपस्थिति नामावली मापी पुस्त इत्यादि संलग्न नहीं पाया गया, फलस्वरूप यह पता नहीं चल सका वस्तुत भुगतान किये गये अग्रिम के विरूध कार्य सम्पन्न किया गया था कार्यपूर्ण हुआ अथवा नहीं। योजनाओं के विरूध लम्बे समय तक अग्रिम रखने के वावजूद भी एकरारनामा के तहत कार्य सम्पन्न नहीं किया गया।

अग्रिम राशि की विवरणी परिशिष्ट–जे0 सलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों/अभिलेख के अभाव में या अभिलेख प्रस्तुत होने तक रू0 6,15,000.00 अग्रिम की राशि समायोजन हेतु लम्बित रखी जाती है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी, लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का पालन नहीं किया गया।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अग्रिम के समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(26) रू0 240.00 अग्रिम वेतन प्रमाण पत्र में वकाया के रूप में अंकित राशि को जमा/समायोजन नहीं किया जाना।

शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत वेतन भुगतान पंजी की जॉच में श्री ललन राम, अनुसेवक को वरीय उपसमार्हता गोपालगंज के ज्ञापांक 1324 दि0 7.12.2011 के स्थानान्तिरण के दौरान इस प्रखंड में वेतन भुगतान पंजी के पृष्ट संख्या 129 पर उल्लेखित श्री ललन राम अनुसेवक की अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की प्रति की कंडिका 03 में यह पाया गया कि नजारत शाखा गोपालगंज का रू0 240.00 वकाया अंकित है। वकाया का स्वरूप उल्लेखित नहीं पाया गया, जिसका समायोजन/जमा अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि तक नहीं पाया गया।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्तिनिर्गत की गयी लेकिन निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः सम्बन्धित व्यक्ति से राशि वसूल कर नजारत शाखा गोपालगंज में जमा किया जाय एवं जमा की सूचना प्राप्तकर राशि समायोजित किया जाय।

उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि समायोजन/जमा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

भाग – 3

अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :–

(i) मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत योजना सं0 113/10–11 के द्वारा अनिता देवी पिता रामदास कुशवाहा पति मैनेजर कुशवाहा ग्राम रामपुर, सिकटिया को रू0 5000.00 का भुगतान रोकड़ पंजी में दि0 2.2.11 को किया गया था। सम्बन्धित केश रेकर्ड की जॉच में निम्न त्रृटियॉ पायी गयी।

(क) पंचायत द्वारा विवाह निवंधन प्रमाण पत्र में निर्गत निवंधन संख्या 52/20.7.10 में शादी की तिथि 31.6.2010 लिखा पाया गया।

(ख) नोटरी क्लव, गोपालगंज द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं0 40/5.8.10 में भी शादी की तिथि 31.6.10 लिखा पाया गया।

उपरोक्त दोनो प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र में शादी की तिथि 31.6.10 दर्शायी गयी है जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है क्यों कि माह जून 30 का ही होता है। आश्चर्य की वात है कि पंचायत एवं नोटरी कल्व जो एक कार्यपालिका एंव न्यायपालिका का अभिन्न अंग है के द्वारा उल्लेखित शादी की तिथि 31.6.10 पर ध्यान नहीं दिया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि उच्चाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट होकर शादी की वास्तविक तिथि को अंकित किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा चल रहे अंकेक्षण क्रम में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी थी जिसका एक सप्ताह में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन कर अंकेक्षण में वापस करना अति अनिवार्य है लेकिन निर्गत एक भी अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन का

वार–वार मांग एवं लिखित के वावजूद भी अंकेक्षण में वापस नहीं किया गया जो विभागीय अनुदेश का उल्लंघन किया गया प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अभिरूचि नहीं ली गयी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण समाप्ति के दिन पदाधिकारी से सर्म्पक किया गया। उनके द्वारा वताया गया कि कर्मचारी की कमी एवं व्यस्तता के कारण आपत्ति का अनुपालन कर वापस नहीं किया जा सका। यह कथन अंकेक्षण में सही प्रतीत नहीं हुआ।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न की जाय। साथ ही उच्चाधिकारी अपने स्तर से आपत्ति निर्गत पर सम्बन्धित व्यक्ति से आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

(iii) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि में ऐसा पाया गया कि सम्वन्धित वैंक पासबुक का अध्यतन नहीं किये जाने के कारण वैंक पासबुक के अनुरूप ही वैंक खाता पंजी अलग–अलग खोलकर एवं उसमें दिखाये गये संवरण शेष के आधार पर ही रोकड़ पंजी में संवरण शेष को अंकित किया जाता है, जो विहार कोषागार संहिता के नियम के प्रतिकूल है।

अतः अंकेक्षक का सुझाव है कि उच्चाधिकारी अपने स्तर से केवल वैंक पासवुक के संवरण शेष के आधार पर ही रोकड़ पंजी में संवरण शेष की राशि दर्शायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

(iv) रू0 4,09,934.08 अव्यवहृत अवशेष राशि को कोषागार में जमा करने का सुझाव।

विभिन्न शीर्ष के रोकड़ पंजी के संवरण शेष के जॉच में अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक कुछ वैसे रोकड़ पंजी में संवरण शेष पाये गये, जो काफी वर्षो से मात्र संवरण शेष के रूप में चली आ रही है। उक्त शीर्ष में न तो आय ही दिखाया गया है और न व्यय ही। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्वन्धित शीर्ष के योजना भी वंद कर दिया गया है जिसकी विवरणी इस प्रकार है।

<u>संवरण शेष की विवरणी।</u>

क्र0	रोकड़ पंजी शीर्ष का नाम	किस तिथि से पायी गयी संवरण शेष की राशि	अव्यवहृत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	जिला योजना	1.4.05	7940.00	
2.	पी0एम0जी0 वाई0	31.3.06	11,738.00	

3.	पोषाहार	31.12.03	11.60.08	
4.	नियोजन गारन्टी रोजगार योजना	5.9.08	8750.00	
5.	दशम वित्त आयोग	8.2.05	5375.00	
6.	विधायक योजना	14.3.07	55,588.00	
7.	मातृत्व अनुदान	20.8.04	195.00	
8.	एकादश वित्त आयोग	3.11.06	10,951.00	
9.	श्र0 मा0 समृधि योजना	28.2.02	10,382.00	
10.	प्रोत्साहन भत्ता	3.8.05	1,46,115.00	
11.	$22\frac{1}{2}$ % जे0आर0वाई0	4.6.07	88,516.00	
12	सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना	12.9.08	63,224.00	
		कुल योग –	4,09,934.08	

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अंकेक्षण का सुझाव है कि अगर उक्त संवरण शेष की राशि व्यय करने के योग्य न हो तो उसे कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम

1. संत कुमार भगत, व0अं0--2

परिशिष्ट-- ए0 कंडिका 1 (ट) से सम्बन्धित।

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची वर्ष –2010–11 / 2011–12

उपलब्ध प्रस्तुत अभिलेख	अप्रस्तुत अभिलेख
1. विपत्र सं0	1. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्या0 प्रति।
2. नाजीर रसीद	2. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
3. सामान्य रोकड़ पंजी	3. 2515 क का आवंटन पंजी एवं प्रत्यापणीय प्रतिवेदन 2010–11
4. सभी शीर्षो का सहायक रोकड़ पंजी	4. 2515 क का सरकारी आवंटन परिपत्र, आवंटन पंजी एवं प्रत्यापर्णीय विवरण 2011–12
5. वेतन भुगतान पंजी (2515 क,ख,ग)	5. महालेखाकार / वित्त (अंकेक्षण) विभाग का पूर्व का अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन।
6. कार्यालय आकस्मिक अभिश्रवों	6. कमीशन अभिलेख
7. स्थापना मद का आवंटन परिपत्र (संचिका में उपलब्ध आवंटन परिपत्र)	7. 8009 का भरपाई पंजी
8. 2515 ख एवं 2515 ग का आवंटन परिपत्र प्रर्त्यापर्णीय विवरणी वर्ष 2011–12	8. वर्दी एवं जूता आपूर्ति पंजी
9. 2015 पंचायत निर्वाचन एवं निर्वाचन का प्रत्यापणीय प्रतिवेदन 2011–12	9. स्थायी भंडार पंजी
10. वर्ष 2010–11 एंव 2011–12 को कोषागार द्वारा उपलबध कम्प्यूटराईजड भुगतान सिड्ल	10. सेवा पुस्त
11. अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को संधारित वैक पाबुक	
12. संधारित वैंक खाता पंजी	
13. अग्रिम की राशि की सूची	

14. असमायोजित अभिश्रव	
15. पाईका अभिश्रव	
16. जनगणना वितरण भुगतान पंजी	

परिशिष्ट – वी0 1/6 कंडिका – 2 (4) से सम्बन्धित।

स्थापना मद का आवंटन–व्यय विवरणी वर्ष 2010–11

क्र0	शीर्ष/मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	अधिक व्यय	प्रत्यापर्ण राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2515 क वेतन एवं अन्य भत्ता	8,33,800.00	7,49,354.00	84446.00	–	–	सरकारी आवंटन परिपत्र प्रस्तुत परन्तु आवंटन पंजी एवं प्रत्यापणीय विवरणी, अप्रस्तुत। फलस्वरूप प्रत्यापर्णीय राशि की स्थिति का पता नहीं चल सका।
2.	2515 ख						शीर्ष 2515 ख अन्तर्गत सरकारी आवंटन परिपत्र प्रस्तुत लेकिन आवंटन पंजी/प्रत्यापर्णीय प्रतिवेदन मांग के वावजूद भी अप्रस्तुत फलस्वरूप प्रत्यापर्णीय की गयी राशि की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका।
	1. वेतन एवं अन्य भत्ता	19,96,650.0	17,99,142. 00	1,97,508. 00	–		
	2. यात्रा भत्ता	18000.00	3600.00	14,400.00	–		
	3. कार्या0 आकस्मिक	60,000.00	12,000.00	48,000.00	–	–	
	4. वाहन का रख रखाव	94,000.00	18,758.00	75,242.00	–		
	5. दूरभाष	13,000.00	–	13,000.00	–		
	6. वर्दी	4240.00	3782.00	458.00			

	7. विद्युत	6000.00	—	6000.00			
	कुल —	21,91,890.00	18,37,282.00	3,54,608.00			

परिशिष्ट — वी0 2/6 कंडिका — 2 (4) से सम्बन्धित।

स्थापना मद का आवंटन—व्यय विवरणी वर्ष 2010—11

क्र0	शीर्ष/मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	अधिक व्यय	प्रत्यापर्ण राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5 (3—4)	6	7	8
3.	शीर्ष 2515 ग 1. वेतन एवं अन्य भत्ता 2. कार्या0 व्यय 3. यात्रा भत्ता	 3,56,514.00 1500.00 1500.00	 81,873.00 — —	 2,74,641.00 1500.00 1500.00	 — — —		2515 अन्तर्गत आवंटन परिपत्र प्रस्तुत लेकिन आवंटन पंजी/प्रत्यार्णीय विवरणी अप्रस्तुत/फलस्वरूप प्रत्यार्पीत राशि का पता नहीं चल सका। तीन माह वेतन भुगतान के वाद पद रिक्त।
	कुल योग —	3,59,514.00	81,873.00	2,77,641.00			

परिशिष्ट — वी0 3/6/कंडिका 2 (4) 1 से सम्बन्धित।

योजना एवं अन्य मद में प्राप्त आय—व्यय विवरणी वर्ष 2010—11

क्र0	शीर्ष	मद	पूर्व संवरण शेष 31.3. 2010	प्राप्ति राशि	कुल प्राप्ति राशि	व्यय राशि	बचत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2235 साम0 सुरक्षा जिला से प्राप्त	– कवीर अन्त्योसटी	1,40,700.00 –	2,70,000.00	4,10,700.00	3,90,501.00	20,199.00	सम्बन्धित रोकड़ पंजी में दि0 31.3.11 को संवरण/शेष के रूप में है।
2.	विविध रोकड़ पंजी जिला से प्राप्त अभिकरण से प्राप्त जिला से प्राप्त	– 2245 खुखागस्त हेतु पाईका हेतु फसल कृषि मद में (मक्का अनुदान)	11,72,484.00 – – –	– 34,56,600 50,000 5,08,600	11,72,484.00 34,56,600 50,000 5,08,600	11,72,484 34,56,600 – –	– – 50,000 5,08,600	31.3.11 को संवरण शेष के रूप में 5,58,600 पाया।
					51,87,684.00	4629084.00	5,58,600.00	
3.	3454 जनगणना जिला से प्राप्त	– प्रगणक/पर्यवेक्षक का मानदेय प्रगणक का प्रशिक्षण	16,950.00 – –	7,99,000.00 1,86,000.00	16,950.00 7,99,000.00 1,86,000.00	8,04,300.00 1,41,750.00	11,650.00 44,250.00	संवरण शेष में 55,900.00 31.3.11 को पाया गया।

					10,01,950.00	9,46,050.00	55,900.00	
4.	2015 पंचायत निर्वाचन जिला से प्राप्त	– पंचायत चुनाव हेतु	4,943.00 –	9000.00	4,943.00 9000.00 13,943.00	–	13,943.00	संवरण शेष में पाया गया।
5.	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रति निधियों का भत्ता	– भत्ता वेतन इत्यादि	– –	4,39,712.00	4,39,712.00	4,39,712.00	–	संवरण शेष शुन्य पाया गया।

परिशिष्ट वी0 4/6 कंडिका – 2 (4) से सम्बन्धित।

योजना एवं अन्य मद में प्राप्त आय–व्यय विवरणी 2010–11

क्र0	शीर्ष	मद	पूर्व संवरण शेष 31.3.10	प्राप्ति राशि	कुल प्राप्ति राशि	व्यय राशि	वचत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	2015 निर्वाचन जिला से प्राप्त	– पैक्स चुनाव मतदान कर्मी, पीठासीन पदा0 एवं वी0एम0ओ0	1,78,203.52 –	1,15,000.00	1,78,203.52 1,15,000.00	1,66,100.00	1,27,103.52	

	तदैव	2. 2010 विधान सभा चुनाव हेतु कार्या0 व्यय		14,100.00	14,100.00	2800.00	11,300.00	
	तदैव	3. कार्या0 व्यय	–	1,68,000.00	1,68,000.00	–	1,68,000.00	रोकड़ पंजी में संवरण शेष 4,08,667.52 दि0 31.3.11 को पाया गया।
	तदैव	4. वी0एल0ओ0 का मानदेय	–	47,000.00	47,000.00	–	47,000.00	
	तदैव	5. पुलिस व्यवस्था	–	56,064.00	56,064.00	800.00	55,264.00	
				5,78,367.52	1,69,700.00	4,08,667.52		
7.	<u>वी0आर0जी0 एफ0</u> 1. जिला परिषद गोपालगंज से प्राप्त 2. जिला से प्राप्त 3. सूद से प्राप्त	– योजना मद में योजना मद में सूद से	19,80,068.00 – – –	– 3,06,300 8,94,000 78,622	19,80,068 12,00,300 78,622	1,29,310 6,65,238 –	18,50,758 5,35,062 78,622	सम्बन्धित रोकड़ पंजी के दि0 31.3.11 के संवरण शेष में रू0 24,64,442.00 पाया गया।
					32,58,990	**7,94,548**	**24,64,442**	

8.	मुख्य मंत्री कन्या <u>विवाह योजना</u>	—	8,44,114.00	—	**8,44,114.00**			सम्बन्धित रोकड़ पंजी के 31.3.11 के संवरण शेष की राशि 7,49,920.00 पाया गया।
	जिला प्रोग्राम पदा0 से प्राप्त	कन्या विवाह हेतु	—	6,25,806.0	6,25,806.00	7,20,000.00	7,49,920.00	
					14,69,920.00	**7,20,000.00**	**7,49,920.00**	
9.	वरहवाँ वित्त आयोग	—	3,70,656.00	—	3,70,656			सम्बन्धित रोकड़ पंजी के 31.3.11 के संवरण शेष में रू0—02,60,871.00 पाया गया।
		योजना मदे में	—	1,09,908				
	जिला से प्राप्त	सूद से प्राप्त।	—	15,307.00	1,25,215	2,35,000	2,60,871	
					4,95,871	**2,35,000**	2,60,871	
10.	<u>प्रमुख</u>	—	36,000.00		36,000.00			दि0 31.3.11 के संवरण शेष के रूप में 53,906.00 रोकड़ पंजी में पाया गया।
	जिला परिषद से प्राप्त	पंचायत में वितरण	—	4,99,004.00	4,99,004	4,81,098	53,906	
					5,35,004	4,81,098	53,906	
11.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	समग्र विकास परि0	9,96,407.00	—	9,96,407.00	5,44,493.00	4,51,914.00	सम्वन्धित रोकड़ पंजी में 31.3.11

परिशिष्ट वी0 6/6 कंडिका 2 (i) से सम्बन्धित।

योजना/अनुदान एवं अन्य मद में प्राप्त आय–व्यय विवरणी 2010–11

क्र0	शीर्ष	पूर्व संवरण शेष 31.3.2010	प्राप्त राशि	कुल प्राप्ति राशि	व्यय	बचत राशि	
13(i)	जिला योजना	7940.00	—	7940.00	—	7940.00	31.3.11 के संवरण शेष में पाया गया।
14.	पी0एम0जी0वाई	11,738	—	11,738.00	—	11,738.00	रोकड़ पंजी में 31.3.11 को संवरण शेष के रूप में पाया गया।
15.	पोषाहार	1160.08	—	1160.08	—	1160.08	तदैव
16.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	8750.00	—	8750.00	—	8750.00	तदैव
17.	दशम वित्त आयोग	5375.00	—	5375.00	—	5375.0	तदैव
18.	विधायक योजना	55,588.00	—	55,588.00	—	55,588.00	तदैव
19.	मातृत्व अनुदान	195.00	—	195.00	—	195.00	तदैव
20.	एकादश वित्त आयोग	10,951.00	—	10,951.00	—	10,951.00	तदैव
21.	जवाहर ग्रामीण समृध योजना	10,382.00	—	10,382.00	—	10,382.00	तदैव
22.	प्रोत्साहन भत्ता	1,46,115.00	—	1,46,115.00	—	1,46,115.00	तदैव
23.	$22\frac{1}{2}$ इन्दिरा आवास	88,516.00	—	88516.00	—	88,516.00	तदैव

24.	सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना	63,224.00	—	63,224.00	—	63,224.00	तदैव
25.	राष्ट्रीय वृधा पेंशन	6,25,100.00	—	6,25,100.00	—	6,25,100.00	तदैव
26.	वालिका समृध योजना	1,42,050.00	—	1,42,050.00	—	1,42,050.00	तदैव
27.	सूद की राशि	12,36,999.57	—	12,36,999.57	—	12,36,99957	तदैव

परिशिष्ट वी0–7/7 कंडिका –2 (4) से सम्बन्धित।

प्रखंड स्तर पर छात्रवृति मद में प्राप्त राशि की आय–व्यय विवरणी वर्ष –2010–11

क्र0	कहाँ से प्राप्त	मद	पूर्व वर्ष 09–10 का संवरण शेष (31.3.10)	प्राप्त अनुदान राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
			13,76,330.00	—	9,29,540.00	4,46,790.00	
1.	जिला कल्याण कार्या0, गोपालगंज	पोशाक योजना	—	3,52,000.00	—	3,52,000.00	
2.	तदैव	अनु0जाति/जनजाति को छात्रवृति भुगतान पंचायत स्तर पर	—	7,31,340.00	7,31,340.00	—	

3.	,,	,, प्रखंड स्तर पर	—	1,92,000.00	1,91,400.00	600.00	
4.	,,	अनु0जाति के वालिकाओं	—	29,000.00	16,500.00	12,500.00	
5.	,,	मूक वाधिर छात्रों के लिए छात्रवृति वितरण	—	50,000.00	49,650.00	350.00	
6.	,,	पिछड़ी जाति हेतु छात्रवति वितरण	—	3,29,340.00	—	3,29,340.00	
		कुल योग —	**13,76,330.00**	**16,83,680.00**			छात्रवृति रोकड़ पंजी में दि0 31.3.11 को संवरण शेष के रूप में रू0 11,41,580.00 पाया गया एवं ग्रामीण वैंक, पंचदेवरी के खाता सं0 4162 जो सामान्य खाता है में सम्मिलित रूप से शेष में है।
			30,60,010.00		**19,18,430.00**	**11,41,580.00**	

परिशिष्ट सी0 2/6 कंडिका –2 (4) से सम्बन्धित।

स्थापना मद का आवंटन–व्यय/प्रत्यार्पणीय विवरणी वर्ष 2011–12

क्र0	शीर्ष/मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	अधिक व्यय	प्रत्यार्पणीय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	2515 ग वेतन एवं अन्य भत्ता	3,13,700.00	—	3,13,700.00	—	3,13,700.00	इस कार्या0 के पत्रांक–456 दि0 19.3.12 के द्वारा 3,13,700.00 प्रत्यार्पित किया गया। क्यों कि वर्ष 2011–12 में कोई कर्मी इस शीर्ष में पदस्थापित नहीं है। पद रिक्त है।
4.	2055 पुलिस 1. वाहन का इंधन एवं रख रखाव	1,20,000.00	1,19,949.00	51.00	—		
	2. कार्यालय व्यय	40,000.00	39,997.00	3.00	—	54.00	
		1,60,000.00	**1,59,946.00**	**54.00**	—		
5.	2053 जि0प्रशा0 1. अन्य भत्ता	1912.00	—	1912.00			इस कार्यालय के पत्रांक 507 दि0 30.3.12

	2. यात्रा भत्ता	936.00	—	936.00			के द्वारा प्रत्यार्पित किया गया।
	3. कार्या0 व्यय	1750.00	1750.00	—			
	4. वाहन एवं इंधन का रख — रखाव	3539.00	3539.00	—			
	कुल —	**8137.00**	**5289.00**	**2848.00**	—	**2848.00**	

परिशिष्ट सी0 (3/6/ कंडिका –2 (4) 1 से सम्वंधित।

योजना एवं अन्य मद में प्राप्त आय–व्यय विवरणी वर्ष 2011–12

क्र0	शीर्ष	मद	पूर्व संवरण शेष 31.3.2011	प्राप्ति राशि	कुल प्राप्ति राशि	व्यय राशि	वचत राशि	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
01	2235 सा0 सुरक्षा	—	20,199.00		20,199.00			सम्बन्धित रोकड़ पंजी के 31.3.12 के संवरण शेष के रूप में पाया गया।
	1. कवीर अन्त्येष्टी जिला से प्राप्त	कवीर अन्त्यष्टी	—	30,843.00	30,843.00	—	51,042.00	
	2. ,,		—	1920.00	1920.00	1920.00	—	
	3. ,,	सा0सु0कार्या0व्यय ,, प्रशासनिक मद कुल	—	60,000.00	60,000.00	—	60,000.00	
	कुल —				**1,12,962.00**	**1920.00**	**1,11,042.00**	

02	विविध रोकड़ पंजी जिला से प्राप्त	—	5,58,600.00	—	5,58,600.00	50,000.00	5,08,600.00	सम्बन्धित रोकड़ पंजी के 31.3.12 के संवरण शेष के रूप में 7,31,318.00 पाया गया।
						85842.00		
	तदैव	कबीर अन्त्येष्टी	—	85842.00	85,842.00	1,06,000	—	
	तदैव	आर0टी0पी0एसकमी	—	1,82,000.00	1,82,000.00	—	76,000.00	
		पशुपालन कार्य हेतु	—	1,46,718.00	1,46,718.00		1,46,718.00	
					9,73,160.00	2,41,842	7,31,318.00	
03	3454 जनगणना	—	55,900.00	—	55,900.00	—	55,900.00	31.3.12 के संवरण शेष में पाया गया।
04	2015 पंचायत निर्वाचन	—	13,943.00		13,943.00	—	13,943.00	रोकड़ पंजी के 31.3.12 के संवरण शेष में 6,28,365/— पाया।
	एल0 आर0से प्राप्त	अभ्यार्थी फीस	—	2,70,375.00	2,70,375.00	—	2,70,375.00	
	जिला मि0 से प्राप्त	पंचायत चुनाव 2011 के यात्रा भत्ता	—	4,57,372.00	4,57,372.00	1,13,325	3,44,047	
				कुल —	**7,41,690.00**	**1,13,325**	**6,28,365**	
	"	कार्यालय मद	—	1,50,000.00	**1,50,000.00**	1,14,667	35,333.00	पत्रांक 432 दि0 $23\frac{3}{12}$ द्वारा प्रत्यार्पित किया गया।

परिशिष्ट सी0 (4/6) कंडिका– 2(4) 1 से सम्बन्धित।

योजना एवं अन्य मद में प्राप्त आय–व्यय विवरणी वर्ष – 2011–12

क्र0	शीर्ष	मद	पूर्व संवरण शेष 31.3. 2011	प्राप्ति राशि	कुल प्राप्ति राशि	व्यय राशि	वचत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	2015 निर्वाचन जिला से प्राप्त	– वी0एल0ओ0 का मानदेय	4,08,667.52 –	– 1,41,000.00	4,08,667.52 1,41,000.00 5,49,667.52	2,83,196.18 47000.00 330196.18	1,25,471.34 94,000.00 2,19,471.34	रोकड़ पंजी के 31.3.12 के संवरण शेष के रूप में 2,19,471.00 पाया गया।
	"	कार्या0 व्यय		9400.00	9400.00	3980.00	20.00	पत्रांक 508/30.3.12 द्वारा प्रत्यार्पित किया गया।
6.	महादलित समुदायिक भवन	–	–	–	–	–	–	दि0 31.3.12 के संवरण शेष में पाया गया।
	जि0क0पदा0से प्राप्त।	भवन एवं वर्क शेड निर्माण	–	2,40,000.00	2,40,000.00	2,07,693.00	32,307.00	

7.	वी0आर0जी0एफ0 जिला से प्राप्त जिला परिषद से प्राप्त सूद से	— योजना मद ,, —	24,64,442.00 — —	— 6,57,000.00 9,57,564.00 16,667.00	24,64,442.00 6,57,000.00 9,57,564.00 16,667.00 **40,95,673.00**	2,95,000.00 **2,95,000.00**	**38,00,673.00**	रोकड़ पंजी में 31. 3.12 को संवरण शेष के रूप में 38,00,673.00 पाया गया।
8.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिला से प्राप्त	— कन्यादान योजना	7,49,920.00 —	— 9,43,071. 00	7,49,920.00 9,43,071.00 **16,92,991.** **00**	16,55,000. 00 **16,55,000.** **00**	37,991.00 **37,991.00**	रोकड़ पंजी में 31. 3.12 को संवरण शेष के रूप में 37,991.00 पाया गया।
9.	वारहवॉ वित्त आयोग अधिक भुगतान के कारण कार्या0 द्वारा जमा राशि	— योजना	2,60,871.00 —	20,000.00	2,60,871.00 20,000.00 **2,80,871.00**	2,31,728.00 **2,31,728.** **00**	49,143.00 **49,143.00**	दि0 31.3.12 को संवरण शेष के रूप में 49,143. 00 पाया गया।

परिशिष्ट सी0 5/6 कंडिका – 2 (4) से सम्बन्धित।

योजना एवं अन्य मद में प्राप्त आय–व्यय विवरणी वर्ष 2011–12

क्र0	शीर्ष	मद	पूर्व संवरण शेष 31.3. 2010	प्राप्ति राशि	कुल प्राप्ति राशि	व्यय राशि	वचत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	प्रमुख	–	53,906.00	–	53,906.00	–	53,906.00	31.3.12 के संवरण शेष में पाया गया।
11.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	–	4,51,914.00		4,51,914.00	4,06,592.00	3,52,322.0	31.3.12 के संवरण शेष के रूप में 3,52,322.00 पाया गया।
	जिला से प्राप्त	एल0जी0एस0वाई प्रशिक्षण हेतु	–	3,07,000.00	3,07,000.00			
					7,58,914.00	**4,06,592.00**	**3,52,322.00**	
12.	तेरहावॉ वित्त आयोग	–	1,55,996.00		1,55,996.00	–	1,55,996.00	दि0 31.3.12 को संवरण शेष के रूप में 15,77,695.00 पाया गया।
		योजना	–	12,57,087.00	12,57,087.00	–	12,57,087.00	
	जिला से प्राप्त सूद से	–	–	1,64,612.00	1,64,612.00		1,64,612.00	
					15,77,695.00	–	**15,77,695. 00**	
						–		

परिशिष्ट सी0 6/6 कंडिका–2 (4) से सम्बन्धित।

योजना/अनुदान एवं अन्य मद में प्राप्त आय–व्यय विवरणी 2011–12

क्र0	शीर्ष	पूर्व सवंरण शेष 31.3.2010	प्राप्त राशि	कुल प्राप्ति राशि	व्यय	बचत राशि	अभ्युक्ति
17	जिला योजना	7940.00	—	7940.00	—	7940.00	रोकड़ पंजी के 31.3.12 के संवरण शेष में पाया गया।
18	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	8750.00	—	8750.00	—	8750.00	तदैव
19.	दशम वित्त आयोग	8375.00	—	8375.00	—	8375.00	तदैव
20.	विधायक योजना	55,588.00	—	55,588.00	—	55,588.00	तदैव
21.	मातृत्व अनुदान	195.00	—	195.00	—	195.00	तदैव
22.	एफादश वित्त आयोग	10,951.00	—	10,951.00	—	10,951.00	तदैव
23.	जवाहर ग्रामीण समृध योजना	10,382.00	—	10,382.00	—	10382.00	तदैव
24.	प्रोत्साहन भत्ता	1,46,115.00	—	1,46,115.00	—	1,46,115.00	तदैव
25.	$22\frac{1}{2}$ इन्दिरा आवास	88,516.00	—	88,516.00	—	88,516.00	तदैव
26.	सुनिश्चित समग्र ग्रामीण रोज0 योजना	63,224.00	—	63,224.00	—	63,224.00	तदैव
27.	राष्ट्रीय वृछा पेंशन	6,25,100.00	—	6,25,100.00	—	6,25,100.00	तदैव
28.	वलिका समृध योजना	1,42,050.00	—	1,42,050.00	—	1,42,050.00	तदैव

परिशिष्ट सी0 7/7 कंडिका 2 (4) से सम्बन्धित।

प्रखंड स्तर पर छात्रवृति मद की प्राप्त राशि का आय–व्यय विवरणी वर्ष –2011–12

क्र0	कहाँ से प्राप्त	मद	पूर्व वर्ष का 10–11 कर संवरण शेष 31.3.11	प्राप्त अनुदान राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
			11,41,580.00	–	2,99,640.00	8,41,940.00	वर्ष 08–09 का अनु0 जाति को भुगतान–97680.00 पिछड़ा वर्ग का छात्रवृति भुगतान–2,01,960.00 2,99,640.00
1.	जिला कल्याण कार्या0, गोपालगंज	अनु0 जाति/जनजाति/मुशहर जाति को वर्ग 1–6 तक का छात्रवृति भुगतान पंचायत स्तर पर	–	13,10,000.00	13,10,000.00	–	सभी पंचायतों का निर्गत।
2.	तदैव	अनु0जाति एवं मुशहर के लिए	–	4,80,000.	4,39,200.	40,800.00	प्रखंड स्तर पर व्यय।

		वर्ग–7–10 तक छात्रो का छात्रवृति भुगतान		00	00		
3.	तदैव	पिछड़ा वर्ग के छात्रो का छात्रवृति हेतु	–	77,000.00	–	77,000.00	
4.	तदैव	विकलांग छात्र/छात्रा हेतु छात्रवृति	–	44,289.00	2300.00	41,989.00	प्रखंड स्तर पर व्यय
5.	तदैव	अनु0 जाति, अस्वच्छ जाति एवं मुशहर के लिए	–	16,47,950.00			
6.	"	पिछड़ा जाति उ0 वि0सं0 10 पिछड़ा जाति म0वि0वर्ग सं0–6 तक	–	1,30,000.00 2,00,000.00	17,22,350.00	2,55,600.00	पंचायत स्तर पर व्यय–11,22,950.00 प्रखंड स्तर पर व्यय–5,99,400 17,22,350.00
	कुल योग –		**11,41,580.00**	**38,89,239.00**	**37,73,490.00**	**12,57,329.00**	छात्रवृति कल्याण रोकड़ पंजी में दि0 31.3.12 को संवरण शेष के रूप में 12,57,329.00 पाया

		50,30,819.00			गया जो ग्रामीण वैक पचदेवरी, के सामान्य खाता सं0 4162 में सम्मलित रूप से पाया गया।

परिशिष्ट डी0/कंडिका 3 (5 ख) से सम्बन्धित

वैंक पासबुक एवं वैंक खाता पंजी में दिखाये गये संवरण शेष की विवरणी।

क्र0	वैंक का नाम	खाता सं0	वैंक पासबुक में दिखाये गये तिथि तक संवरण शेष की राशि		अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को संधारित वैंक खाता पंजी में दिखाये गये संवरण शेष की राशि	अभ्युक्ति
			अंकित तिथि	संवरण शेष		
1	2	3	4	5	6	7
1.	उ0वि0क्षे0ग्रा0 वैंक जमूना है। वाजार	4057	3.12.12	1,27,387.00	1,27,387.00	
2.	तदैव	4438	3.12.12	3,54,172.0	3,54,172.00	
3.	तदैव	5628	3.12.12	11,537.00	11,537.00	
4.	तदैव	4268	3.12.12	1,53,462.00	82,262.00	
5.	तदैव	6875	14.2.13	7,04,660.00	11,10,387.00	
6.	तदैव	5903	20.2.13	1,15,29,306.00	9,43,306.00	
7.	ग्रा0वैंक, गौरा	5185	3.12.12	26,386.00	26,386.00	
8.	तदैव	5329	3.12.12	63,751.00	63,751.00	
9.	तदैव	5330	2.1.13	48,83,036.00	5,18,036.00	
10.	ग्रा0वैंक, पंचदेवरी	4545	3.12.12	9,553.00	9,553.00	
11.	तदैव	4546	3.12.12	37,481.00	37,481.00	
12.	तदैव	4547	3.12.12	24,495.00	24,495.00	
13.	तदैव	4548	27.2.13	61,76,859.00	1,22,14,484.00	

14.	तदैव	5741	3.12.12	19,708.00	19,708.00	
15.	तदैव	4162	29.12.12	35,41,994.09	42,06,707.09	
16.	तदैव	5745	3.12.10	5,56,645.00	5,56,645.00	
17.	तदैव	5755	3.12.12	24,46,401.00	24,46,401.00	
18.	तदैव	30008717	6.5.13	25,34,281.00	90,981.00	
19.	तदैव	30006973	29.12.12	1872.00	3,39,372.00	
20.	एस0वी0आई कटैया	30300454257	3.12.12	1,52,246.00	40,572.00	
21.	तदैव	30300454122	3.12.12	40,572.00	1,52,246.00	
22.	सेन्ट्रल वैंक, पंचदेवरी	3993637832	2.7.12	22,70,418.00	9,92,712.00	
23.	तदैव	2393608437	26.2.13	2,32,397.00	4,39,024.00	
24.	तदैव सी0डी0एस0	3154537470	30.1.12	2,32,500.00	18,007.00	
25.	केनरा वैंक, गोपालगंज	2310101315900	29.4.13	23,83,083.00	12,36,648.00	
26.	तदैव	2310101315901	31.1.13	17,17,705.00	8,97,705.00	
27.	वैंक वड़ौदा, गोपालगंज	3374100004010	22.4.13	14,00,704.00	8,94,304.00	
28.	आर0डी0वी0आई0 गोपालगंज	1011104000033257	27.2.13	12,48,602.00	1,48,202.00	

कुल योग – **2,80,02,471.09**

परिशिष्ट ई0 कंडिका 3 (5 ग) से सम्बन्धित।

अग्रिम की राशि की विवरणी रू0 75,73,212.00

क्र0	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम एवं पदनाम	अग्रिम तिथि	अग्रिम का उद्धेश्य	अग्रिम की राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सुदामा पाण्डेय, जीप चालक	24.4.06	जीप मरम्मत हेतु	100.00	
2.	प्रभूनाथ प्रसाद, अनुसेवक	24.4.06	यात्रा भत्ता हेतु	100.00	
3.	विजय शंकर दूवे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	24.4.06	प्रोत्साहन भत्ता हेतु	1,42,404.00	
4.	श्री अमरेन्द्र, अंचल अधिकारी रह स0 निर्वाचन पदा0	8.4.11	निर्वाचन हेतु	20,000.00	
5.	अनिल कु0 मिश्र, पं0 सेवक	25.4.11	पंचायत निर्वाचन हेतु	2,00,000.00	
6.	शिव दयाल पंडित, पं0 से0	–	पेंशन वितरण हेतु	60,000.00	
7.	सुभाष शुकल, पं0 से0	–	तदैव	1,17,000.00	
8.	भानू प्रताप कुँवर, पं0 से0	–	तदैव	1,17,000.00	
9.	अनिल कु0 मिश्र, पं0 से0	–	तदैव	39,000.00	
10.	दीनानाथ वर्मा, पूर्वनाजिर	–	कार्यालय व्यय हेतु	33,300.00	
11.	कामता सिंह, अंचल पदा0	22.5.06	निर्वाचन कार्य हेतु	5000.00	
12.	अंचल पदा0, नाजिर द्वारा प्राप्त कराया गया।	7.5.11	अग्नि पिड़ित हेतु	52,000.00	

13.	जितेन्द्र यादव, पं0से0 महूआवां	12.9.012	डीजल अनुदान हेतु	1,70,000.00	
14.	गंगदयाल सिंह ,, कुइसाखुर्द	12.9.12	तदैव	1,29,800.00	
15.	राम प्रसाद यादव ,, सिकरिया	12.9.12	तदैव	1,15,300.00	
16.	जय प्रकाश सिंह ,, मझवलिया	12.9.12	तदैव	1,47,900.00	
17.	गंगदयाल सिंह ,, सेमरिया	12.9.12	तदैव	1,39,500.00	
18.	नजरूल इसलाम, भगवानपुर	12.9.12	तदैव	68,500.00	
19.	भानू प्रताप कुवंर ,, मगहिया	12.9.12	तदैव	84,800.00	
20.	भानू प्रताप कुवंर ,, वनकटिया	12.9.12	तदैव	2,30,000.00	
21.	जितेन्द्र यादव ,, खालगांव	12.9.12	तदैव	1,74,500.00	
22.	विजय कु0 सिंह, प्र0 कृ0 पदा0	12.9.12	तदैव	66,308.00	
23.	जितेन्द्र यादव, पं0 से0 महूआंवा	16.10.12	पेंशन वितरण हेतु	7,05,000.00	
24.	गंगदयाल सिंह ,, कुईसाखुर्द	16.10.12	तदैव	5,39,200.00	
25.	राम प्रसाद यादव, सिकटिया	16.10.12	तदैव	7,50,000.00	
26.	जय प्रकाश सिंह ,, मझवलिया	16.10.12	तदैव	3,04,000.00	
27.	जितेन्द्र यादव ,, सेमरिया	16.10.12	तदैव	7,14,600.00	
28.	नजरूल इसलाम, भगवानपुर	16.10.12	तदैव	6,10,000.00	
29.	भानूप्रताप कुवर ,, मगहिया	16.10.12	तदैव	6,12,200.00	
30.	भानुप्रताप कुँवर ,, वनकटिया	16.10.12	तदैव	6,14,600.00	
31.	जितेन्द्र यादव ,, खालगांव	16.10.12	तदैव	6,10,400.00	

कुल योग– 75,73,212.00

परिशिष्ट एफ0/कंडिका– 4 से सम्बन्धित।

वर्ष 2010–11 में स्वीकृत वल/कार्यरत वल/रिक्त पदों की सूची की विवरणी।

क्र0	शीर्ष	पदनाम	स्वीकृत वल	कार्यरत वल	रिक्त वल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	2515 (क)	पंचायत सचिव	09	05	04	
2.	2515 (ख)	प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड	01	01	—	
		कृषि पदाधिकारी पंचायत	01	—	01	
		पर्यवेक्षक महिला प्रसाद	01	—	01	
		पदाधिकारी प्रधान सहायक	01	—	01	
		सहायक अनुसेवक	01	01	—	
		रात्रि प्रहरी जीप	03	03	—	
		चालक	02	01	01	
			01	—	01	
			01	01	—	
3.	2505 (ग)	कनीय अभियंता	01	01	—	

वर्ष – 2011–12 में स्वीकृत वल/कार्यरत वल की विवरणी।

क्र0	शीर्ष	पदनाम	स्वीकृत वल	कार्यरत वल	रिक्त वल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	2515 (क)	पंचायत सचिव	09	05	04	

2.	2515 (ख)	प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड	01	01	—	
		कृषि पदाधिकारी पंचायत	01	—	01	
		पर्यवेक्षक महिला प्रसाद	01	—	01	
		पदाधिकारी प्रधान सहायक	01	—	01	
		सहायक अनुसेवक	01	01	—	
		रात्रि प्रहरी जीप	03	03	—	
		चालक	02	01	01	
			01	—	01	
			01	—	01	
3.	2505 (ग)	कनीय अभियंता	01	—	01	

परिशिष्ट जी0 1/2 कंडिका–06/ से सम्बन्धित।

कार्यालय आकस्मिक अभिश्रवों के एक ही पारित अभिश्रवों को वर्ष 2011–12 में मूल अभिश्रव के आधार पर एवं वर्ष 2010–11 में फोटो प्रति के आधार पर राशि रू0 7789.00 निकासी एवं व्यय दिखाकर दुवारा दिखाया जाना की विवरणी।

वर्ष –2011–12 में अभिश्रव की मूल प्रति से निकासी एवं व्यय की विवरणी विपत्र सं0 50/2011–12 राशि 84202.00 भुगतान तिथि – 31.3.2012

क्र0	मूल अभिश्रव सं0	दुकानदार का नाम	रसीद सं0 क्रय तिथि	सामान का नाम	मात्रा	दर	राशि	पारित राशि	पारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	103	सिंह फोटो स्टेट, गो0गंज कचहरी रोड़	881 14.1.2011	इन्दिरा आवास फोटो कॉपी	50 पीस	1/–	50.00	50.00	14.3.11
2.	117	अरविन्द कुमार	5/10.7.10	जनगणना सम्वन्धी फोटो	5 पेज	2/–	10.00	10.00	10.7.10
3.	101	लक्ष्मी वस्त्रालय पंचदेवरी	8/23.9.99	एक रंगा	20 मी0	15/–	300.00	300.00	14.3.11
4.	102	सिंह फोटो स्टेट, गोपालगंज	676/13.1.11	इन्दिरा आवास जिरोक्स	100 पे0	1/–	100.00	100.00	14.3.11
5.	104	गोविन्द कुमार	–/23.1.11	गैस	–	–	100.00	100.00	14.3.11
6.	105	अंजली फोटो स्टेट लेमिनेसन, पंचदेवरी	–/18.5.10	फोटो स्टेट	81 कॉपी	2/–	160.00	120.00	18.5.10
7.	107	मनोरंजन स्टोर, सिनेमा रोड़, गोपालगंज	43/7.5.09	फेन्सी रजिस्टर	2 पीस	35/–	70.00	70.00	17.5.10

8.	108	सज्जा, मेन रोड़, गोपालगंज	1699/04. 12.10	वर्दी	13 पी0	132/–	1716.00	1716.00	4.12.10
9.	111	गेपाल, पंचदेवरी	–/28.6.10	गैस मेन्टल माठी	3 पी0 5 ,, 1 ,,	– – –	150.00 25.00 3.00 178.00	170.00	28.6.10
10.	112	डी0एन0 सिंह, पंचदेवरी	28.6.10	प्लेन पेपर रजिस्टर रजिस्टर	2 जि0 5 पीस 5 ,,	16/– 25/– 10/–	32.00 125.00 50.00 207.00	200.00	28.6.10
11.	113	मे0 अभिनव, थाना रोड, गोपालगंज	253/31.6. 10	स्टैम्प पेड कैमल इंक	20 पीस 1 ,,	15/– 40/–	300.00 40.00 340.00	340.00	31.6.10
12.	114	अंजली फोटो स्टेट, लेमिनेशन, पंचदेवरी	78/2.7.10	फोटो कॉपी	12 पी0	2/–	24.00	18.00	2.7.10
13.	115	तदैव	83/6.7.10	इन्दिरा आवास फोटो कॉपी	40 प्रति	2/–	80.00	80.00	6.7.10
14.	116	नागेन्द्र गुप्ता	9.7.10	ताला	3 पीस	45/–	135.00	130.00	20.7.10
15.	119	वावा किराना दुकान पंचदेवरी	10.7.10	तोई	1 कि0	–	70.00	70.00	10.7.10
16.	120	नागेन्द्र गुप्ता, पंचदेवरी	10.7.10	फेनाइल	–	–	20.00	20.00	10.7.10

17.	121	विहारी वसपौर, पंचदेवरी	10.7.10	पदाधिकारी प्रकोष्ट का तीन दिन का लेट्रिन साफ किया जिसका मजदूरी				115.00	10.7.10
18.	122	अंजली फोटो स्टेट लेमिनेशन, पंचदेवरी	102/10.7.10	सूचना प्रपत्र फोटो कॉपी	65 प्रति	2/–	130.00	130.00	10.7.10
19.	123	अशोक पुस्तक सदन पंचदेवरी	15.7.10	सादा कागज	10 जि0	15/–	150.00	150.00	15.7.10
20.	126	मे0 सिंह, फोटो स्टेट गोपालगंज	22.7.10	फोटो कॉपी	70 कॉपी	1/–	70.00	70.00	22.7.10
21.	127	तदैव	22.7.10	जिरोक्स फ्लाई लीफ फ्लूड स्केल	20 ,, 7 पी0 1 ,, 1 ,,	1/– 2/– 26/– 15/–	20.00 14.00 26.00 15.00 75.00	70.00	22.7.10
22.	135	रूक्मीनी देवी	जनवरी 11	प्रखंड कार्या0 के सफाई कार्य हेतु 5 दिन का मजदूरी 5X109=			545.00	540.00	25.1.11
23.	138	तदैव	फरवरी 11	तदैव			545.00	500.00	15.2.11

कुल :– 5069.00

वर्ष 2010–11 में फोटो प्रति से अभिश्रव की निकासी एवं व्यय की विवरणी विपत्र सं0 70/2010–11 राशि 12000.00 भुगतान तिथि– 31.3.2011

क्र0	मूल अभिश्रव सं0	दुकानदार का नाम	रसीद सं0 क्रय तिथि	सामान का नाम	मात्रा	दर	राशि	पारित राशि	पारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	99	सिंह फोटो स्टेट, कचारी रोड, गोपालगंज	881 14.1.2011	इन्दिरा आवास फोटो कॉपी	50 पीस	1/–	50.00	50.00	
2.	100	अरविन्द कुमार	5/10.7.10	जनगणना सम्बन्धी फोटो	5 पेज	2/–	10.00	10.00	
3.	101	लक्ष्मी वस्त्रालय, पंचदेवरी	8/23.9.99	एक रंगा	20 मी0	15/–	300.00	300.00	
4.	102	सिंह फोटो स्टेट, गोपागंज	676/13.1.11	इन्दिरा आवास जिरोक्स	100 पे0	1/–	100.00	100.00	
5.	104	गोविन्द कुमार	–/23.1.11	गैस	–	–	100.00	100.00	अभिश्रव सादा कागज पर था
6.	105	अंजली फोटो स्टेट लेमिनेसन, पंचदेवरी	–/18.5.10	फोटो स्टेट	81 पीस कॉपी	2/–	160.00	120.00	–
7.	107	मनोरंजन स्टोर, सिनेमा रोड़, गोपालगंज	43/17.5.09	फेन्सी रजि0	2 पीस	35/–	70.00	70.00	–
8.	108	सज्जा मेन रोड, गोपालगंज	1699/4.12.10	पर्दा	13 पी0	132/–	1716.00	1716.00	–

9.	111	गोपाल, पंचदेवरी	—/28.6.10	गैस मेन्टल माठी	3 पीस 5 ,, 1 ,,	— — —	150.00 25.00 3.00 178.00	170.00	—
10.	112	डी0एन0सिंह, पंचदेवरी	28.6.10	प्लेन पेपर रजिस्टर रजिस्टर	2 जि0 5 पीस 5 ,,	16/— 25/— 10/—	32.00 125.00 50.00 207.00	200.00	
11.	113	मे0 अभिनव, थाना रोड, गोपालगंज	253 31.6.10	स्टाम्प पैंड केंमल इंक	20 पी0 1 पीस	15/— 40/—	300.00 40.00 340.00	340.00	—
12.	114	अंजली फोटो स्टेट लेमिनेशन, पंचदेवरी	78 2.7.10	फोटो कॉपी	12 पी0	2/—	24.00	18.00	—
13.	115	तदैव	83/6.7.10	इन्दिरा आवास फोटो कॉपी	40 प्रति	2/—	80.00	80.00	—
14.	116	नागेन्द्र गुप्ता	9.7.10	ताला	3 पीस	45/—	135.00	130.00	—
15.	119	वावा किराया दुकान पंचदेवरी	10.7.10	तोई	1 कि0	—	70.00	70.00	20.00
16.	120	नागेन्द्र गुप्ता, पंचदेवरी	10.7.10	फेनाइल	—	—	20.00	20.00	—
17.	121	विहारी वसपौर पंचदेवरी	10.7.10	पदाधिकारी प्रकोष्ट का तीन दि0 का लेट्रीन साफ किया जिसका मजदूरी				115.00	अभिश्रव सादा कागज पर था।

18.	122	अंजली फोटो स्टेट लेमिनेसन, पंचदेवरी	102 10.7.10	सूचना प्रपत्र फोटो कॉपी	65 प्रति	2/–	130.00	130.00	–
19.	123	अशोक पुस्तक सदन पंचदेवरी	15.7.10	सादा कागज	10 जि0	15/–	150.00	150.00	
20.	126	मे0 सिंह, फोटो स्टेट गोपालगंज	22.7.10	फोटो कॉपी	70 कॉपी	1/–	70.00	70.00	
21.	127	तदैव	22.7.10	जिरोक्स फ्लाईलीफ फ्लूड स्केल	20 ,, 7 पी0 1 ,, 1 ,,	1/– 2/– 26/– 15/–	20.00 14.00 26.00 15.00 75.00	70.00	–
22.	135	रूक्मीनी देवी	जनवरी 11 प्रखंड कार्या0 के सफाई कार्य हेतु 5 दिन का मजदूरी 5X109.00				545.00	540.00	–
23.	138	तदैव	फरवरी 11	तदैव			545.00	500.00	–

कुल योग – 5069.00

परिशिष्ट जी0 2/2 कंडिका – 06 से सम्बन्धित।

वर्ष 2011–12 में अभिश्रव की मूल प्रति से निकासी एवं व्यय की विवरणी

विपत्र सं0 50/2011–12 राशि 84202.00 भुगतान तिथि – 31.3.2012

क्र0	मूल अभिश्रव सं0	दुकानदार का नाम	रसीद सं0 क्रय तिथि	सामान का नाम	मात्रा	दर	राशि	पारित राशि	पारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				वी0 एफ – 5069.00					
24.	139	रायजी सेन्टर, पंचदेवरी	30.12.10	रजिस्टर	1 पीस	20/–	20.00		
				कलम	1 पीस	–	10.00		
				निप्पो स्पेशल	6 ,,	11/–	66.00		
				माचीस	1 ,,	–	5.00		
				झाड़ू	1 ,,	–	15.00		
				फूल झाड़ू	1 ,,	–	20.00		
				मैंगनेट ताला	1 ,,	–	40.00		
				फेनाइल	1 वोतल	–	25.00		
				मेक्सो	3 पीस	–	54.00		
				ए0सी0प्रो0 वोतल	1 वोतल	–	15.00		
							270.00	260.00	3.2.11

25.	142	अरविन्द कुमार कुशवाहा कम्प्यू0	15 25.1.11	स्वीकृत आदेश फलक का फोटो कॉपी	400 प्र0	1.50/–	600.00	580.00	3.2.11
26.	144	तदैव	17 24.1.11	निर्वाचन आयोग 2010 में फोटो कॉपी	56 को0	1.50/–	84.00	80.00	3.2.11
27.	145	प्रताप टेन्ट हाउस सुरेश ठाकुर, पंचदेवरी	7.2.11	जनगणना की वैठक हेतु कुर्शी रंगमहल साउण्ड टेवूल लेवर टॉली भाड़ा	 150 पी0 1 ,, 1 ,, 6 ,, 2 –	 – – – – – –	 750.00 300.00 300.00 120.00 240.00 300.00 2010.00	1800.00	7.2.11

कुल योग – 7789.00

वर्ष 2010–11 में फोटो प्रति से अभिश्रव की निकासी एवं व्यय की विवरणी विपत्र सं0 70/2010–11 राशि –12000.00 भुगतान तिथि – 31.3.2011

क्र0	मूल अभिश्रव सं0	दुकानदार का नाम	रसीद सं0 क्रय तिथि	सामान का नाम	मात्रा	दर	राशि	पारित राशि	पारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				वी0 एफ – 5069.00					
24.	139	राय जी सेन्टर पंचदेवरी	30.12.10	रजिस्टर कलम निप्पो स्पेशल माचीस झाड़ू फूल झाड़ू मैगनेट ताला फेनाइल मेक्सो ए0 सी0 पी0	1 पीस 1 ,, 6 ,, 1 ,, 1 ,, 1 ,, 1 ,, 1 बो0 3 पी0 1 बो0	201 – 11/– – – – – – – –	20.00 10.00 66.00 5.00 15.00 20.00 40.00 25.00 54.00 15.00 270.00	260.00	–
25	142	अरविन्द कुमार, कुशवाहा कम्प्यूटर	15 25.1.11	स्वीकृत आदेश फलक की फोटो कॉपी	400 कॉपी	1.50/–	600.00	580.00	–
26.	144	तदैव	17 24.1.11	निर्वाचन आयोग 2010 में फोटो कॉपी	56 कॉपी	1.50/–	84.00	80.00	–

27	145	प्रताप टेन्ट हाउस, सुरेश ठाकुर पंचदेवरी	7.2.11	जनगणना की बैठक हेतु ।					
				कुर्शी	150 पी0	–	750.00		
				रंगमहल	1 ,,	–	300.00		
				साउण्ड	1 ,,	–	300.00		
				टेवुल	6 ,,	–	120.00		
				लेवर	2	–	240.00		
				टॉली भाड़ा	–	–	300.00		
							2010.00	1800.00	–

कुल योग – 7,789.00

परिशिष्ट एच0 / कंडिका–08 से सम्बन्धित।

कार्यरत अवधि में वेतनादि मद में किये गये अधिक भुगतान रू0 2199.00 की विवरणी।

क्र0	कर्मचारी का नाम	विपत्र सं0 भुगतान तिथि	अवधि	मूल वेतन	भुगतीत राशि की विवरणी					भुगतान योग्य राशि			चि0 भत्ता	कुल	अन्तर अधिक भुगतान वसूली योग्य।				
					वेतन	महंगाई भत्ता 45%	आवास भत्ता	चि0 भत्ता	कुल	वेतन	मंहगाई भत्ता	आवास भत्ता			वेतन	मंहगाई भत्ता	आवास भत्ता	चि0 भ0	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अरूण कुमार मिश्र प्र0स0	32/10–11 20.12.10	कार्यरत अवधि 1.8.10 से 25.8.10	12,100.00	10,083.00	4537	504	167	15291	9758	4391	488	161.00	14,798	325	146.00	16.00	6.00	493.00
2.	राम नारायण राम स0	तदैव	तदैव	9840.00	8200	3690	410	167	12467	7935	3571	397	161.00	12064	265	119	13.00	6.00	403.00
3.	दीनानाथ वर्मा स0 नाजिर	तदैव	तदैव	12600	105000	4725	525	167	15917	10161	4572	508	161.00	15402	339	153	17.00	6.00	515.00

4.	अरूण कु0 मिश्र प्र0स0	37/10-11 20.12.10	कार्यरत अवधि 18.10.10 से 31.10.10 तक	12100	5647	2541	282	93	8563	5465	2459	273	90	8287	182	82.00	9.00	3.00	276.00
5.	राम नारायण राम स0	तदैव	तदैव	9840	4592	2066	230	93	6981	4444	2000	222	90.00	6756	148	66.00	8.00	3.00	225.00
6.	दीनानाथ वर्मा स0	तदैव	तदैव	12600	5880	2646	294	93	8913	5690	2561	285	90.00	8626	190	85.00	9.00	3.00	287.00
	कुल योग –				44902	20205	2245	780	68132	43453	19554	2173	753	65933	1449	651.00	72.00	27.00	2199.00

परिशिष्ट एच0–1 कंडिका – 12 से सम्बन्धित।

अभिश्रव पर छात्र के वर्ग एवं अवधि नहीं पाये जाने की विवरणी।

क्र0	अभिश्रव सं0 भुगतान तिथि	विद्यालय का नाम	अभिश्रव पर छात्र की कुल सं0	अभिश्रव पर उल्लेखित स्थिति		अभिश्रव की पारित कर भुगतीत राशि
				वर्ग	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7
1.	09 / 23.8.10	उ0म0वि0 राजापुर	01	अंकित	–	660.00
2.	13 / 23.8.10	उ0म0वि0 कुइसा मठवाँ	13	अंकित	–	8580.00
3.	15 / 23.8.10	उ0वि0 जमूनाहाँ	10	अंकित	–	6660.00
4.	02 / 20.12.11	उ0म0वि0 कुइसाभठवाँ	8	–	–	5280.00
5.	03 / 20.12.11	उ0म0वि0 राजापुर	8	–	–	5280.00
6.	04 / 20.12.11	उ0म0वि0 पंचदेवरी	17	–	–	11,220.00
7.	05 / 20.12.11	उ0म0वि0 महूऑवा	10	–	–	6660.00
8.	06 / 20.12.11	उ0म0वि0 सवैया	7	–	–	4620.00
9.	07 / 20.12.11	उ0म0वि0, पंचदेवरी	6	–	–	3960.00
10.	08 / 20.12.11	उ0म0वि0 वरवाँ	10	–	–	6660.00
11.	– / 20.12.11	उ0म0वि0, सेमरिया	10	–	–	6660.00
12.	09 / 20.12.11	उ0म0वि0 पिपराही	18	–	–	11880.00
13.	01 / 10.2.12	उ0म0वि0 महंथवाँ पूर्वा	03	–	–	5400.00

14.	02 / 10.2.12	उ0म0वि0 देवरिया	06	अंकित	—	10,800.00
15.	03 / 10.2.12	उ0म0वि0 महूआवॉ	26	अंकित	—	46,800.00
16.	04 / 10.2.12	उ0म0वि0 राजपुर	07	—	—	12,600.00
17.	06 / 10.2.12	उ0म0वि0 खालगॉव	11	—	—	19,800.00
18.	05 / 10.2.12	उ0म0वि0 कूइसा मठवॉ	07	अंकित	—	12,600.00
19.	10 / 10.2.12	उ0म0वि0 मचवॉ	03	—	—	5400.00
20.	11 / 10.2.12	उ0म0वि0 मझवलिया	04	—	—	7200.00
21.	12 / 10.2.12	उ0म0वि0 नेहररूवाकला	02	—	—	3600.00
22.	13 / 10.2.12	उ0म0वि0 सेमरिया	12	—	—	21,600.00
23.	15 / 10.2.12	उ0म0वि0 ततरिया	01	—	—	1800.00
24.	16 / 10.2.12	उ0म0वि0 राजापुर मंहथ	10	अंकित	—	18000.00
25.	18 / 10.2.12	रा0म0वि0 गहनीचकिया	07	अंकित	—	12,600.00
26.	19 / 10.2.12	उ0म0वि0 पिपराही	22	—	—	39,600.00
27.	20 / 10.2.12	रा0म0वि0 मांतीपुर	23	—	—	41,400.00
28.	21 / 10.2.12	तवेश्वरनाथ उ0म0वि0 छितौना	21	अंकित	—	37,800.00
29.	22 / 10.2.12	+2 उ0म0वि0 जमूनाहॉ	72	—	—	1,29,600.00

30.	—/10.2.12	शिवनन्दन साह उ0 वि0 तेतरिया	26	—	—	46,800.00

कुल — 5,51,520.00

परिशिष्ट आई0/कंडिका 16 (ख) से सम्बन्धित।

रू0 1200.00 भुगतान के विरूध भुगतान प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाये जाने की विवरणी।

क्र0	अभिश्रव का क्रम सं0	खिलाड़ियो का नाम	पंचायत	स्कूल का नाम	भुगतान राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	172	नीरज मिश्र	सिकटिया	म0वि0 भठवा	50.00	खिलाड़ियों का हस्ताक्षर अप्राप्त।
2.	173	हरिओम सिंह	,,	उ0वि0 जमूनाहॉ	50.00	
3.	174	चुन्नू कुमार	,,	तदैव	50.00	
4.	175	रिक्की श्रीवास्तव	,,	तदैव	50.00	
5.	176	संजय कुमार	,,	म0 वि0 पंचदेवरी	50.00	
6.	177	विजय यादव	,,	तदैव	50.00	
7.	178	ऐनूल अंसारी	,,	उ0 वि0 पंचदेवरी	50.00	
8.	179	चितरंजन दूवे	,,	तदैव	50.00	
9.	180	निरंजन कुमार	,,	तदैव	50.00	
10.	181	दीपक शर्मा	,,	तदैव	50.00	
11.	182	गोपाल राम	,,	तदैव	50.00	
12.	183	दुर्गेश वर्मा	,,	म0 वि0 सिकटिया	50.00	
13.	184	सोनू आलम	,,	तदैव	50.00	

14.	185	अजय प्रसाद यादव	सेमरिया	उ0 म0 वि0 सेमरिया	50.00	
15.	186	विजय यादव	,,	तदैव	50.00	
16.	187	वलिराम ठाकुर	,,	तदैव	50.00	
17.	188	सुमित कुमार शर्मा	,,	तदैव	50.00	
18.	189	अमलेश कु0 कुशवाहा	,,	तदैव	50.00	
19.	190	कुन्दन कु0 कुशवाह	,,	तदैव	50.00	
20.	191	रामू कुमार साह	,,	म0वि0 मुर्गीचक	50.00	
21.	192	शिम्पू कुमार राय	,,	तदैव	50.00	
22.	193	शिवजी कुमार	,,	तदैव	50.00	
23.	194	सुचिन्द्र कु0 राम	,,	तदैव	50.00	
24.	195	रिम्पू कुमार राय	,,	तदैव	50.00	

कुल योग – 1200.00

परिशिष्ट जे0 /कंडिका – 19 से सम्बन्धित।

योजनाओं के विरूध भुगतान किये गये अग्रिम राशि समायोजन हेतु लम्बित की विवरणी।

क्र0	शीर्ष	योजना सं0	अभिकर्त्ता का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि तकनीकी स्वीकृति	अग्रिम भुगतान की विवरणी		अभ्युक्ति
						भुगतान तिथि	भुगतान राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वी0आर0 जी0एफ0	2/10–11	सुभाष शुक्ल पं0 सचिव	मझवलिया (भढ़वा वाजार में मार्केट शेड का निर्माण)	4,68,500.00 29.7.10	25.8.10 1.12.10 19.2.11 19.2.11	25,000.00 1,00,000.00 2,50,000.00 3,75,000.00 25,000.00	दि0 19.2.11 के वाद अभिलेख में कार्य प्रगति में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। योजना अद्यतन तक लम्बित योजना अभिलेख पर रू0 25000.00 अग्रिम का कोई उल्लेख नहीं पाया गया परन्तु शेष राशि व्यय था।

2.	वारहवॉं वित्त आयोग	1/10–11	तदैव	अंचल कार्यालय भवन का मरम्मति।	80,100.00 27.7.10	25.8.10 28.9.10 कुल –	20,000.00 30,000.00 50,000.00	अग्रिम प्राप्ति के वाद कार्य में प्रगति का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। योजना लम्बित।
3.	तदैव	2/10–11	तदैव	प्रखंड कार्यालय भवन का मरम्मति।	77,500.00 27.8.10	28.9.10 3.12.10 कुल –	30,000.00 40,000.00 70,000.00	अभिलेख पर कार्य प्रगति का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। योजना लम्बित
4.	तदैव	3/10–11	तदैव	11 विभिन्न स्थानों पर चापाकल निर्माण रू0 17,360 प्रति चापाकल	1,90,960.00 25.8.10	20.2.11	95,000.00	अभिलेख पर योजनापूर्ण का कोई उल्लेख नहीं किया पाया गया। जनहित में कार्य को देखते हुए योजना अपूर्ण।

कुल योग – 6,15,000.00

8.	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना जिला प्रोग्राम पदा0 से प्राप्त	— कन्या विवाह हेतु	8,44,114.00 —	— 6,25,806.0	**8,44,114.00** 6,25,806.00	7,20,000.00	7,49,920.00	सम्बन्धित रोकड़ पंजी के 31.3.11 के संवरण शेष की राशि 7,49,920.00 पाया गया।
					14,69,920.00	**7,20,000.00**	**7,49,920.00**	
9.	वरहवाँ वित्त आयोग जिला से प्राप्त	— योजना मदे में सूद से प्राप्त।	3,70,656.00 — —	— 1,09,908 15,307.00	3,70,656 1,25,215	2,35,000	2,60,871	सम्बन्धित रोकड़ पंजी के 31.3.11 के संवरण शेष में रू0—02,60,871.00 पाया गया।
					4,95,871	**2,35,000**	2,60,871	
10.	प्रमुख जिला परिषद से प्राप्त	— पंचायत में वितरण	36,000.00 —	4,99,004.00	36,000.00 4,99,004	4,81,098	53,906	दि0 31.3.11 के संवरण शेष के रूप में 53,906.00 रोकड़ पंजी में पाया गया।
					5,35,004	4,81,098	53,906	
11.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	समग्र विकास परि0	9,96,407.00	—	9,96,407.00	5,44,493.00	4,51,914.00	सम्वन्धित रोकड़ पंजी में 31.3.11